# मिशन शक्ति केन्द्र

## थानों में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु पुलिस के उत्तरदायित्व तथा विभिन्न महिला अपराधों से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रिया

## (Standard Operating Procedure)

# उत्तर प्रदेश पुलिस

# मिशन शक्ति केन्द्र

# थानों में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु पुलिस के उत्तरदायित्व तथा विभिन्न महिला अपराधों से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रिया

## (Standard Operating Procedure)

उत्तर प्रदेश पुलिस

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लोक भवन,
लखनऊ–226001

# संदेश

भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही मातृ प्रधान रही है । मातृ शक्ति के संरक्षण एवं सशक्तीकरण को चराचर जगत के कल्याण के रूप में देखा गया है । मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सन् 2014 में आरम्भ किया गया **'बेटी–बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** अभियान रहा हो अथवा **मातृ वंदना** एवं **नारी शक्ति वंदन अधिनियम** इन सबके पीछे का उद्देश्य नारी शक्ति का सशक्तीकरण ही रहा है। इन्ही से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों को **निःशुल्क स्कूली शिक्षा** के साथ ही **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना**, **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना**, पुलिस भर्ती में बालिकाओं को **20 प्रतिशत** आरक्षण, आदि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु भूमि आवंटन में **महिलाओं को प्राथमिकता** के साथ **सन् 2020 से महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन** को और सशक्त बनाने के लिए **'मिशन शक्ति'** अभियान प्रारम्भ किया था।

**'मिशन शक्ति'** अभियान ने महिला बीट पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में सभी विभागों के कार्मिकगण महिला सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी अवगत कराते रहे हैं। **महिला सुरक्षा की दृष्टि से 1090** व **181 हेल्प लाइन**, को **PRV 112 के साथ** इन्टीग्रेट करने के साथ ही हर थाने में महिला हेल्प डेस्क तथा सुविधा केन्द्र भी विकसित किए गए हैं। 18 महानगर सीसी टीवी से आच्छादित होकर सेफ सिटी की दिशा में आगे बढ़े हैं। हर नगर में पिंक बूथ भी बनाये गए हैं।

महिला सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, अपराध होने पर समय से सजा हो सके इसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक के प्रयास और भावी चुनौतियों से निपटने के दृष्टिगत एक विशिष्ट एस.ओ.पी. नए कार्मिकों का मार्गदर्शन हेतु तैयार की जा रही है।

**'मिशन शक्ति'** के दृष्टिगत चल रहे और भावी कार्यक्रमों के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं।

**(योगी आदित्यनाथ)**

दूरभाष : 0522–2289017 / 2289010 / 2289167 फैक्स – 0522–2239234 ईमेल – cmup@nic-in

# <u>संदेश</u>

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण मान0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में महिलाओं को और अधिक सुरक्षित तथा सशक्त बनाने की दिशा में थानों में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन शक्ति केन्द्र का गठन पूर्ण रुप से एक महिला केन्द्रित कार्यप्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत पुलिस थाने में पीड़िता के आगमन के समय से लेकर पुनः मानसिक एवं शारीरिक रुप से पूर्णतः सशक्त होने तक मिशन शक्ति केन्द्र $360^0$ काउंसलिंग, मार्गदर्शन, सहयोग और संरक्षण सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने हेतु एकल सम्पर्क बिन्दु होगा। जिसके संचालन को प्रभावी, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाने के लिए पुलिस के उत्तरदायित्व तथा विभिन्न महिला अपराधों से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की बुकलेट तैयार की गई है। यह SOP पीड़ित महिलाओं को तत्परता से सम्मानजनक सहायता प्रदान कराने के उद्देश्य से बनाई गई है, जो पुलिसकर्मियों के व्यवहारिक मार्गदर्शन और कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में मिशन शक्ति केन्द्र में कार्यरत कर्मियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करेगी।

मुझे विश्वास है कि यह SOP मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य को अधिक प्रभावशाली एवं पारदर्शी बनाकर महिला सुरक्षा की दिशा में एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेगी। मैं सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि इस SOP का पालन पूर्ण निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ करते हुए मिशन शक्ति केन्द्र को ऐसा भरोसेमंद केन्द्र बनाएं, जहाँ हर महिला निडर होकर आ सके, अपनी बात कह सके, और अपनी स्थिति के सुधार हेतु $360^0$ काउंसलिंग एवं सहयोग प्राप्त कर सके, जिससे हम समाज में महिलाओं के लिए विश्वास, सुरक्षा और न्याय की भावना को और अधिक सुदृढ़ कर सकें।

शुभकामनाओं सहित...

**(राजीव कृष्णा)**
आई0पी0एस0
**पुलिस महानिदेशक,**
**उत्तर प्रदेश।**

# अनुक्रमणिका


| क्र0सं0 | विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 01 | शब्द संक्षिप्तीकरण | 05 |
| 02 | मिशन शक्ति केन्द्र - प्रस्तावना एवं उद्देश्य | 06 |
| 03 | मिशन शक्ति केन्द्र की संरचना (पर्यवेक्षण एवं जनशक्ति) | 07 |
| 04 | मिशन शक्ति केन्द्र में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख | 08 |
| 05 | मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त कर्मियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व | 09-14 |
| | ● प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र | 10-11 |
| | ● उपनिरीक्षक/ सहायक उपनिरीक्षक | 12 |
| | ● मुख्य आरक्षी | 13 |
| | ● आरक्षी | 14 |
| 06 | पर्यवेक्षण अधिकारियों के उत्तरदायित्व | 15-20 |
| | ● प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष | 16 |
| | ● सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी | 17 |
| | ● नोडल अधिकारी (कमिश्नरेट/जनपदीय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक) | 18 |
| | ● कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक | 19 |
| | ● परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक | 20 |
| 07 | Transfer/Induction/De-induction हेतु प्रक्रिया | 21 |
| 08 | प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता | 22 |
| 09 | महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अपराधों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) | 23-46 |
| | ● घरेलू हिंसा/दहेज उत्पीड़न | 24-26 |
| | ● बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराध (पॉक्सो ऐक्ट) | 27-30 |
| | ● एसिड अटैक | 31-34 |
| | ● बलात्कार | 35-38 |
| | ● छेड़खानी/शीलभंग | 39-41 |
| | ● अपहरण/व्यपहरण | 42-44 |
| | ● दहेज हत्या | 45-46 |
| 10 | एण्टी रोमियो स्क्वाड एवं महिला बीट प्रणाली के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश | 47-52 |
| | ● एण्टी रोमियो स्क्वाड के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश | 48-50 |
| | ● महिला बीट प्रणाली के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश | 51-52 |
| 11 | मिशन शक्ति केन्द्र हेतु निर्धारित विभिन्न अभिलेखों के प्रारुप | 53-58 |
| 12 | मिशन शक्ति केन्द्र से सम्बन्धित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर | 59 |

# शब्द संक्षिप्तीकरण (Abbreviations)

| | |
|---|---|
| **SOP** | Standard Operating Procedure (मानक संचालन प्रक्रिया) |
| **OSC** | One Stop Centre (वन स्टॉप सेन्टर) |
| **CCI** | Child Care Institution (बाल देखरेख संस्थान) |
| **PPK** | Pariwar Paramarsh Kendra (परिवार परामर्श केन्द्र) |
| **CWC** | Child Welfare Committee (बाल कल्याण समिति) |
| **DPO** | District Probation Officer (जिला प्रोबेशन अधिकारी) |
| **DLSA** | District Legal Services Authority (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) |
| **SLSA** | State Legal Services Authority (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) |
| **PLV** | Para Legal Volunteer (पैरा-लीगल वालंटियर) |
| **DCPU** | District Child Protection Unit (जिला बाल संरक्षण इकाई) |
| **SJPU** | Special Juvenile Police Unit (विशेष किशोर पुलिस इकाई) |
| **JJB** | Juvenile Justice Board (किशोर न्याय बोर्ड) |
| **CHL** | Child Helpline (चाइल्ड हेल्प लाइन) |
| **WHD** | Women Help Desk (महिला हेल्प डेस्क) |
| **POCSO Act** | Protection of children from sexual offences Act, 2012 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012) |
| **JJ act** | Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015) |
| **CNCP** | Children in Need of Care & Protection (सुरक्षा और देखभाल की जरूरत वाले बच्चे) |
| **CCL** | Children in Conflict with Law (विधि से संघर्षरत बच्चे) |
| **NGO** | Non-Government Organization (स्वयं सेवी संगठन) |
| **BNS 2023** | Bhartiya Nyay Sanhita, 2023 (भारतीय न्याय संहिता, 2023) |
| **BNSS 2023** | Bhartiya Nagrik Surksha Sanhita, 2023 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) |
| **TOT** | Training of Trainers (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) |
| **CWPO** | Child Welfare Police Officer (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी) |
| **WCSO** | Women and Child Security Organization (महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन) |

# मिशन शक्ति केन्द्र - प्रस्तावना एवं उद्देश्य

महिलाओं का उत्पीड़न रोकने, उनके विरूद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने, उनको सहायता प्रदान करने एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा अनेंक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता, तत्परता, प्राथमिकता एवं उनके साथ होने वाली किसी भी घटना के उपरान्त समुचित काउंसलिंग, सहयोग एवं संरक्षण के साथ ही उपरोक्त कार्यों हेतु जवाबदेही तय करने के लिए कटिबद्ध है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक थाने के परिसर में महिलाओं के लिए समर्पित **मिशन शक्ति केन्द्र** की स्थापना की जा रही है।

**उद्देश्य**-

मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिला अपराध/उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए थाने पर एक महिला केन्द्रित कार्यप्रणाली स्थापित करते हुए पुलिस थाने में पीड़िता के आगमन से लेकर पुनः मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः सशक्त होने तक काउन्सलिंग, मार्गदर्शन, सहयोग और संरक्षण सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने हेतु एकल सम्पर्क बिन्दु के रूप में कार्य करना है। जिसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्न कार्य सम्मिलित हैं-

- पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श (Counselling), पुनर्वास व आश्रय, मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था कराना।
- महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित एण्टी रोमियो स्क्वाड, महिला बीट प्रणाली, महिला हेल्प डेस्क का समुचित व समयबद्ध संचालन।
- महिला अपराध से सम्बन्धित अभियोगों की मॉनीटरिंग।
- लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं आदि से सम्बन्धित जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार।

# मिशन शक्ति केन्द्र की संरचना
# (पर्यवेक्षण एवं जनशक्ति)

कमिश्नरेट/जनपदीय, पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

नोडल अधिकारी
(कमिश्नरेट/जनपदीय, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक)

पुलिस कमिश्नरेट
सहायक नोडल अधिकारी
सहायक पुलिस आयुक्त
(कमिश्नरेट के प्रत्येक जोन में एक)

जनपद
सहायक पर्यवेक्षण अधिकारी
क्षेत्राधिकारी
(प्रत्येक सर्किल में एक)

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष

प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र
(महिला/पुरूष अति0 निरीक्षक/उ0नि0)
**(01)**

महिला/पुरूष उ0नि0
**(01-04)**

महिला/पुरूष मुख्य आरक्षी/आरक्षी
**(04-15)**
(उपलब्धतानुसार महिला मु0 आरक्षी/
आरक्षी अधिकतम संख्या में हों)

महिला होमगार्ड
**(01-02)**

# मिशन शक्ति केन्द्र में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख

1. महिला हेल्प डेस्क प्रार्थना पत्र रजिस्टर
2. काउंसलिंग रजिस्टर
3. एण्टी रोमियो स्क्वॉड रजिस्टर (2)
4. महिला बीट रजिस्टर (2)
5. निरीक्षण पुस्तिका
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर
7. निरोधात्मक कार्यवाही रजिस्टर
8. फीडबैक/ फॉलोअप रजिस्टर

# मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त कर्मियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

# प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य एवं उत्तरदायित्व

## कार्य एवं उत्तरदायित्वः-

- प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र, इस सेल की कार्यकारी मुखिया होगी और उसके समग्र संचालन, प्रबन्धन और मासिक कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सीधे जिम्मेदार होगी।
- मिशन शक्ति केन्द्र की समग्र कार्यप्रणाली, दक्षता और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीधे जिम्मेदार होगी।
- अपने अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों (उपनिरीक्षक, हेड कान्सटेबल, कान्सटेबल) की निगरानी, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मी एस0ओ0पी0, कानूनों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
- महिला सम्बन्धी प्राप्त सभी शिकायतों का दैनिक पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि वे तुरन्त दर्ज हों और उन पर समयबद्ध कार्यवाही हो। संवेदनशील और जटिल मामलों में सीधा हस्तक्षेप और मार्गदर्शन प्रदान करना। अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up) की प्रक्रिया की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पीड़ित को उचित सहायता मिले।
- वन स्टॉप सेण्टर (OSC), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), परिवार परामर्श केन्द्र (PPK), जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO), जिला समाज कल्याण अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ मजबूत कार्य सम्बन्ध और प्रभावी समन्वय स्थापित करना। बैठकों और समीक्षाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना।
- अपने अधीन कार्यरत कर्मियों के लिए ड्यूटी रोस्टर तैयार करना (एण्टी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट)।
- शिकायतों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाहियों, रेफरल और परिणामों से सम्बन्धित डेटा का नियमित विश्लेषण करना। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करना। नोडल अधिकारी/पर्यवक्षण अधिकारी को समय पर और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करना।
- थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवादों के निस्तारण, महिला सुरक्षा और महिला साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनके सफल आयोजन को सुनिश्चित करना। समुदाय के साथ मिलकर काम करना और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में अभियुक्त के विरूद्ध की गयी समस्त निवारक कार्यवाहियों का समानान्तर रिकार्ड बनाए रखना।
- थाने के किसी भी प्रकरण के महत्वपूर्ण कर्तव्यों जैसे- पीड़िता की चिकित्सीय जांच, दबिश एवं अन्य आवश्यक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध कराना।
- प्रारंभिक काउंसलिंग के बाद उपयुक्त प्रकरणों को परिवार परामर्श केंद्र को संदर्भित करना एवं अनुवर्ती (Follow-up) कार्यवाही कराना।
- पलायन सम्बन्धी (Elopement Related) प्रकरणों (धारा 363/366 IPC अथवा 137/87 BNS) तथा महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे आरोप लगाने के प्रकरणों में अनिवार्य काउन्सलिंग कराना।

- यह सुनिश्चित करना कि कर्मियों को महिला सुरक्षा, महिला साइबर सुरक्षा, कानूनी प्रावधानों और परामर्श तकनीकों पर नियमित और अद्यतन प्रशिक्षण मिले। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार क्षमता निर्माण के उपाय सुझाना।

# उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक के कार्य एवं उत्तरदायित्व

## कार्य एवं उत्तरदायित्वः-

- प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र के सहायक के रूप में कार्यों का सम्पादन एवं विशिष्ट कार्यों के निष्पादन तथा पर्यवेक्षण में सहायता।
- प्रभारी द्वारा सौंपे गये प्रकरणों की प्रारम्भिक जांच एवं मूल्यांकन करना। इसमें शिकायतकर्ता और अन्य सम्बन्धित पक्षों से बातचीत करना, प्रारम्भिक जानकारी एकत्र करना और साक्ष्य जुटाना सम्मिलित है। यह निर्धारित करना कि क्या मामले में एफ0आई0आर0 की आवश्यकता है या शिकायतकर्ता की सहमति के अनुसार परामर्श अथवा मध्यस्थता के लिए सन्दर्भित किया जाना समीचीन होगा।
- प्रथम स्तर की काउन्सलिंग प्रदान करना और यह निर्धारित करना कि क्या मामला परिवार परामर्श केन्द्र (PPK) को सन्दर्भित करने के लिए उपयुक्त है। एलोपेमेन्ट प्रकरणों (धारा 363/366 IPC अथवा 137/87 BNS) और झूठे आरोपों से सम्बन्धित मामले में काउन्सलिंग कर सत्यता का पता लगाने में सहायता करना।
- महिला हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मियों एवं एण्टी रोमियो स्क्वाड की दैनिक गतिविधियों को लीड करना एवं सक्रिय पर्यवेक्षण करना। यह सुनिश्चित करना कि वे अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और संवेदनशीलता के साथ पालन कर रहे हैं। दैनिक कार्य रिपोर्ट तैयार करना और प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करना। प्रकरणों की प्रगति पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- केस सम्बन्धी फाइलों का सही और विस्तृत दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना। सभी आवश्यक रिकार्ड एवं रजिस्टरों का रखरखाव।

# मुख्य आरक्षी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

## कार्य एवं उत्तरदायित्वः-

- सीधे जनता के साथ सम्पर्क में रहकर मिशन शक्ति केन्द्र के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर लागू करना।
- महिला हेल्प डेस्क की मुख्य भूमिका महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और न्याय प्राप्ति में सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं को सशक्त बनाना एवं पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करना और पुलिस तथा महिलाओं के बीच विश्वास बढ़ाना।
- महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करना और महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों का एकल सम्पर्क बिन्दु होने के दृष्टिगत पीड़ित महिलाओं का महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से उनके नियमित मामलों की स्थिति के बारे में अपडेट प्रदान करना।
- महिला पीड़ितों को महिला हेल्प डेस्क पर बुलाकर परामर्श, क्षतिपूर्ति व अन्य सुविधायें प्रदान कराना तथा मौजूदा कानूनों के बारे में जानकारी, योजनाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना।
- महिला पीडितों को महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन तथा सामुदयिक सम्पर्क बैठकों में सुविधा प्रदान कराना।
- महिला बीट योजना तथा एण्टी रोमियो स्क्वाड का संचालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- मिशन शक्ति केन्द्र के लिए निर्धारित किये गये अनिवार्य अभिलेखों का नियमित अद्यतनीकरण (Updation) एवं रख-रखाव करना।

# आरक्षी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

## कार्य एवं उत्तरदायित्वः-

- ❖ सीधे जनता के साथ सम्पर्क में रहकर मिशन शक्ति केन्द्र के उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर लागू करना।
- ❖ महिला हेल्प डेस्क की मुख्य भूमिका महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और न्याय प्राप्ति में सहायता प्रदान करना।
- ❖ महिलाओं को सशक्त बनाना एवं पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहायता करना और पुलिस तथा महिलाओं के बीच विश्वास बढ़ाना।
- ❖ महिलाओं को कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करना और महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- ❖ महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों का एकल सम्पर्क बिन्दु होगा। पीड़ित महिलाओं का महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से उनके नियमित मामलों की स्थिति के बारे में अपडेट करना।
- ❖ महिला पीड़ितों को महिला हेल्प डेस्क पर बुलाकर परामर्श, क्षतिपूर्ति व अन्य सुविधायें प्रदान किया जाना तथा मौजूदा कानूनों के बारे में जानकारी, योजनाओं तथा सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराना।
- ❖ महिला पीडितों को महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रत्येक थाना स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन कराना।
- ❖ महिला बीट योजना तथा एण्टी रोमियो स्क्वाड का संचालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ❖ मिशन शक्ति केन्द्र के लिए निर्धारित किये गये अनिवार्य अभिलेखों का नियमित अद्यतनीकरण (Updation) एवं रख-रखाव करना।

# पर्यवेक्षण अधिकारियों के उत्तरदायित्व

# सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के उत्तरदायित्व

❖ मिशन शक्ति केन्द्र सम्बन्धित थाने का एक भाग है जो महिला चौकी की भांति कार्यों को सम्पादित करेगा। मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभारी, थाने के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगी।

❖ सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र कार्यक्रम के औपचारिक रुप से आरम्भ किये जाने/लाँच किये जाने 02 सप्ताह के अन्दर अपने थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराकर सुचारू रूप से क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित कराना।

❖ थाना प्रभारी द्वारा अपने थाने के मिशन शक्ति केन्द्र का नियमित निरीक्षण करना।

❖ उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत आदेशों-निर्देशों के सम्बन्ध में मिशन शक्ति केन्द्र में कार्यरत कर्मियों की नियमित ब्रीफिंग करना।

❖ मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा संसाधनों के सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

# सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी के उत्तरदायित्व

- जनपद में क्षेत्राधिकारी अपने सर्किल में मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्यवेक्षण अधिकारी तथा कमिश्नरेट में सहायक पुलिस आयुक्त अपने जोन के लिए सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इनकी भूमिका नीति के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण तथा अपने क्षेत्राधिकार में महिला सुरक्षा पहलों के समग्र समन्वय की होगी।
- अपने सर्किल के सभी मिशन शक्ति केन्द्र और महिला हेल्प डेस्क के समग्र प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना। मासिक/पाक्षिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना और प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना। अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के रुझानों (TRENDS) और पैटर्नों का विश्लेषण करना, निवारक उपायों का सुझाव देना तथा नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वित कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि थानों में महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध हो।
- अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा), न्यायिक अधिकारियों (DLSA), NGOs और अन्य हितधारकों के साथ जिला स्तरीय समन्वय स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि पीडित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवायें (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति) निर्बाध रूप से मिल सके।
- अपने सर्किल में महिलाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए जनसंपर्क और जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना। सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देना जो महिलाओं को पुलिस के पास आने के लिए प्रोत्साहित करे।
- अपने अधीनस्थ समस्त मिशन शक्ति केन्द्र कर्मियों की जवाबदेही तय करना और किसी भी लापरवाही या कदाचार के मामले में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना। वरिष्ठ अधिकारियों (अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक) को समय पर और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करना।
- अपने सर्किल के प्रत्येक थाने की मिशन शक्ति केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण कर विवरण निरीक्षण पुस्तिका में अंकित करना।
- थाने जाने पर मिशन शक्ति केन्द्र के सभी कर्मचारियों के साथ सम्मेलन करना, उनकी समुचित ब्रीफिंग करना, फीडबैक लेना, मिशन शक्ति केन्द्र की कार्यक्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देना।
- मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना।

# नोडल अधिकारी (कमिश्नरेट/जनपदीय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/ अपर पुलिस अधीक्षक) के उत्तरदायित्व

- ❖ अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी जनपद में मिशन शक्ति केन्द्र के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा एक थाने के मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे थाने के मिशन शक्ति केन्द्र में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु कमिश्नरेट/जनपद के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रस्ताव भेजा जायेगा, जिस पर सम्बन्धित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपदीय स्थापना बोर्ड की गोष्ठी में विचार करेंगे।
- ❖ उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी का Transfer/Induction/De-induction बिना नोडल अधिकारी के प्रस्ताव के नहीं होगा। (इसकी विस्तृत प्रक्रिया पृष्ठ संख्या 21 पर उल्लिखित है।)
- ❖ समस्त मिशन शक्ति केन्द्रों की मासिक कार्ययोजनाओं और रणनीतियों को अन्तिम रूप देना नोडल अधिकारी का दायित्व होगा । यह सुनिश्चित करना कि महिला सुरक्षा सम्बन्धी सभी कार्य पुलिस मुख्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों।
- ❖ नोडल अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी के साथ मासिक समीक्षा बैठक करना। समस्त मिशन शक्ति केन्द्र के समग्र प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना। मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना और प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश देना। अपने क्षेत्राधिकार में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के रूझानों (TRENDS) और पैटर्नों का विश्लेषण करना तथा निवारक उपायों का सुझाव देना।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि थानों में महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। पूर्व में जो संसाधन यथा- फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोन आदि महिला हेल्प डेस्क के लिए आवंटित किये गये थे या आवंटित फण्ड से क्रय किये गये थे, उन सभी को मिशन शक्ति केन्द्र में समायोजित कराना।
- ❖ विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे-समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा), न्यायिक अधिकारियों (DLSA) NGOs और अन्य हितधारकों के साथ जिला स्तरीय समन्वय स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि पीडित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवायें (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, चिकित्सा) निर्बाध रूप से मिल सके।
- ❖ समस्त मिशन शक्ति केन्द्र कर्मियों की जवाबदेही तय करना और किसी भी लापरवाही या कदाचार के मामले में सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करना। पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को नियमित और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करना।
- ❖ अधीनस्थ कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की योजना तैयार कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

# कमिश्नरेट/जनपदीय पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के उत्तरदायित्व

❖ मिशन शक्ति केन्द्र के संचालन हेतु सर्वोच्च पर्यवेक्षक (Overall Supervisor) के रूप में कार्य करेंगे।

❖ अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को मिशन शक्ति केन्द्र के कमिश्नरेट/जनपदीय नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करना।

❖ अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति केन्द्र हेतु किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन और उनके कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा।

❖ कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित रणनीति का निर्धारण और उसके क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश देना।

❖ प्रत्येक माह की अपराध गोष्ठी में मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे। उनके कार्यों एवं समस्याओं की नियमित समीक्षा करना।

❖ मिशन शक्ति केन्द्र के सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लेना और सुधारात्मक निर्देश देना।

❖ सभी मिशन शक्ति केन्द्र में पर्याप्त संसाधनों एवं जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

❖ मिशन शक्ति केन्द्र में लापरवाही या संवेदनहीनता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना और समयबद्ध, न्यायसंगत समाधान की जिम्मेदारी तय करना।

❖ पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक 02 सप्ताह के अन्दर अपने कमिश्नरेट/जनपद के सभी थानों में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराकर सुचारू रूप से क्रियाशील कराया जाना सुनिश्चित कराएंगे।

❖ यह सुनिश्चित करना कि थानों में महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केन्द्र के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और भौतिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। पूर्व में जो संसाधन यथा- फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोन आदि महिला हेल्प डेस्क के लिए आवंटित किये गये थे या आवंटित फण्ड से क्रय किये गये थे, उन सभी को मिशन शक्ति केन्द्र में समायोजित कराना।

❖ विभिन्न सरकारी विभागों (जैसे-समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा), न्यायिक अधिकारियों (DLSA) NGOs और अन्य हितधारकों के साथ जिला स्तरीय समन्वय स्थापित करना। यह सुनिश्चित करना कि पीडित महिलाओं को सभी आवश्यक सहायता सेवायें (OSC, PPK, पुनर्वास, क्षतिपूर्ति, चिकित्सा) निर्बाध रूप से मिल सके।

# परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक के उत्तरदायित्व

- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक मिशन शक्ति केन्द्र की पूर्ण कार्य-योजना को "In Letter & Spirit" (शब्दों के अक्षरशः आशय को समझना व पालन करना) के साथ धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु "Change Agent" की भूमिका निभायेंगे।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के थानों में आदेश के अनुसार मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- परिक्षेत्र के थानों में स्थापित होने वाले मिशन शक्ति केन्द्र की संख्या के अनुसार आवश्यक महिला कर्मियों की संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी जनपद में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है तो अधिक संख्या वाले जनपदों से कम संख्या वाले जनपदों में आवश्यकतानुसार महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करेंगे।
- अधीनस्थ किसी जनपद के भ्रमण के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे।
- अधीनस्थ जनपदों के मिशन शक्ति केन्द्र के जनपदीय नोडल अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक कर समीक्षा करेंगे तथा समस्त SOPs के अनुसार मिशन शक्ति केन्द्र का संचालन सुनिश्चित करायेंगे।
- मिशन शक्ति केन्द्र से सम्बन्धित कर्मियों के प्रशिक्षण की समीक्षा करेंगे।

# Transfer/Induction/De-induction हेतु प्रक्रिया

- मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त होने वाले समस्त पुलिस कर्मियों को उनके आवेदन व पात्रता के आधार पर चयनित किया जायेगा।
- आवेदन करने वाले पुलिस कर्मियों की मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता, क्षमता, कार्यकुशलता आदि का आँकलन जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त उनकी संस्तुति के उपरान्त ही नियुक्ति की जायेगी।
- नियुक्ति में उन पुलिस कर्मियों को वरीयता दी जायेगी जिनका पूर्व का सेवाकाल साफ-सुथरा एवं अनुशासित रहा हो साथ ही महिला अपराधों को डील करने का अनुभव हो।
- मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त समस्त पुलिस कर्मी एक निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा जनपदों में प्रशिक्षण नोडल अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में क्रियान्वित कराया जाएगा। नियुक्त कर्मियों का समय-समय पर नियमित रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी कराया जायेगा।
- प्रशिक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों की संवेदनशीलता की समझ, कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी, संवाद कौशल, काउंसलिंग क्षमता, साफ्ट स्किल, व्यवहार कुशलता, अन्य विभागों की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करने की क्षमता इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- मिशन शक्ति केन्द्र में कर्मियों को प्रथम बार कम से कम 03 से 05 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।
- इन कर्मियों का एक मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे मिशन शक्ति केन्द्र में स्थानान्तरण नोडल अधिकारी के प्रस्ताव पर जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा स्थापना बोर्ड के माध्यम से कराया जायेगा।
- विशेष परिस्थितियों में ही नोडल अधिकारी के अनुमोदन पर तीन वर्ष से पूर्व किसी कर्मी को मिशन शक्ति केन्द्र से De-induct किया जायेगा।

# प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता

मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को विषयगत जानकारी, विशेष रूप से महिलाओं/ बालिकाओं हेतु संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए जनपद स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा 07 दिवस का एक प्रशिक्षण शिविर चलाया जाये जिसमें उन्हें विभिन्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षित किया जाय। जिसमें निम्नलिखित विषयों को भी सम्मिलित किया जाय।

1. **लैंगिक संवेदनशीलता व ट्रॉमा इन्फोर्मड केयर (Trauma Informed Care):** महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उसके मनोभाव के अनुसार पूँछताछ की जाय। पीड़िता से संवेदनशील होकर मधुर व्यवहार किया जाय, जिससे पीड़िता को पूर्ण भरोसा हो जाये की वह अब सुरक्षित व संरक्षित है ।

2. **POCSO व BNS धाराएँ, केस लॉ अध्ययनः-**

   - POCSO Act, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012):- बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाला विशेष कानून है। जिसमें बच्चों की गवाही, मेडिकल जांच, वकील की मदद, और आरोपी को कठोर दंड आदि प्राविधान।
   - BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita - 2023):- इसमें यौन अपराधों, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध सहित अन्य महिलाओं के प्रति अपराध आदि से जुड़े प्राविधान।
   - केस लॉ अध्ययनः- मा0 सुप्रीम कोर्ट और मा0 हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का अध्ययन जिससे विवेचक को समझ आए कि कानून को किस तरह लागू करना है।

3. **पीड़िता- केंद्रित इंटरव्यू तकनीकः** पीड़िता से पूँछताछ करते समय किस तरह संवेदनशील तरीके से प्रश्न पूछे जाएँ।

   - कठोर या अपमानजनक भाषा का प्रयोग न हो।
   - पूँछताछ के दौरान महिला अधिकारी की मौजूदगी हो।
   - पीड़िता को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल दिया जाए।
   - प्रश्न स्थानीय भाषा में हों, ताकि पीड़िता आराम से बता सके।

4. **डिजिटल साक्ष्य Digital Evidence:-** आजकल अपराधों में मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी, सोशल मीडिया, ईमेल, कॉल डिटेल्स जैसे डिजिटल साक्ष्य अहम होते हैं। उनसे जुड़े कानूनी पहलुओं पर जानकारी प्रदान करना।

5. **आर्थिक सहायता योजना**- मिशन शक्ति केन्द्र में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाओं के बारे में जानकारी।

# महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के अपराधों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

# घरेलू हिंसा/दहेज उत्पीड़न के प्रकरणों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## 1) शिकायतकर्ता/पीड़िता का पुलिस थाना पर आगमन या घटना की सूचना प्राप्त होने परः-

**मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क द्वारा कार्यवाहीः-**

- महिला हेल्प डेस्क द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़िता की गरिमा व सम्मान को ध्यान में रखकर विनम्रता से व्यवहार व सांत्वना देते हुये समस्या को गम्भीरता पूर्वक सुनना।
- शिकायतकर्ता/पीड़िता को मूलभूत आवश्यकताओं यथा- पीने का पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ लायी है तो उस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ नहीं लायी है तो उसकी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र लिखवाने में सहायता प्रदान करना।
- यदि शिकायतकर्ता किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रही है तो द्विभाषिया उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारियों को संज्ञानित करना।
- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता नाबालिग है तो थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (बच्चों से पेश आने हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत नामित उ0नि0 स्तर के अधिकारी) से समन्वय स्थापित कराना।
- बच्चों के प्रकरणों में एसओपी में उल्लिखित समस्त कार्यवाही यथासम्भव सादे वस्त्रों में की जाय तथा पीड़िता को थाने पर कम से कम बुलाया जाय।
- यदि सूचना दूरभाष अथवा यू0पी0-112 के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) एवं थाना प्रभारी को तत्काल अवगत कराते हुये यू0पी0-112/एम्बुलेन्स/मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए सूचित किया जाये।
- गोपनीयता सुनिश्चित करना।

## 2) शिकायतकर्ता/पीड़िता की तत्काल सहायता का आंकलन करनाः-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की समस्या, उसकी मानसिक/शारीरिक स्थिति के दृष्टिगत उसे चिकित्सीय सहायता, प्राथमिक काउंसलिंग, सुरक्षा अथवा अन्य किस प्रकार के सहायता की तत्काल आवश्यकता है, का आँकलन करना एवं तदनुसार कार्यवाही करना।

## 3) चिकित्सीय सहायताः-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता के घायल होने की स्थिति में तत्काल प्राथमिक चिकित्सीय सहायता हेतु चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था कराना।

## 4) परामर्श (Counselling):-

- पीड़िता की प्राथमिक काउंसलिंग मिशन शक्ति केन्द्र के सक्षम महिला पुलिस कर्मी द्वारा की जाय।
- ऐसे प्रकरण जिनमें पीड़िता एफ0आई0आर0 पंजीकृत नहीं कराना चाहती है परन्तु तत्काल पुलिस

हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होती है तो पीड़िता का उत्पीड़न करने वालों को बुलाकर प्राथमिक काउंसलिंग उसी समय प्रारम्भ की जाए। जिन प्रकरणों में पीड़िता के अनुसार तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है उसमें पीड़िता को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर अवगत कराना तथा उसका उत्पीड़न करने वालो को भी अवगत कराना।

- प्रारम्भिक काउंसलिंग के उपरान्त यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो प्रकरण को जनपदीय परिवार परामर्श केन्द्र को सन्दर्भित करना एवं अनुवर्ती (Follow-up) कार्यवाही कराना।
- गम्भीर प्रकरणों में नामित प्रोफेशनल काउंसलर की सहायता से काउंसलिंग।
- आवश्यकतानुसार परिवार के सदस्यों को मार्गदर्शन/काउंसलिंग कराना।
- आवश्यकतानुसार पीड़िता के Mental Support हेतु काउंसलिंग के दौरान पीड़िता के परिवारीजन/परिचित को भी साथ रखा जाय।
- यदि पीड़िता की स्थिति गहरे मानसिक आघात/ अवसाद/Anxiety की लग रही हो तो वन स्टाप सेन्टर से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित प्रोफेशनल मनोचिकित्सकों के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण/काउंसलिंग/मनोचिकित्सीय सहायता की व्यवस्था कराना।

▼

## 5) प्रथम सूचना रिपोर्टः-

- घरेलू हिंसा के प्रकरणों में आवश्यकतानुसार और शिकायतकर्ता/पीड़िता की सहमति के अनुसार थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाना।
- प्रथमदृष्टया यदि घरेलू विवाद सामान्य प्रवृत्ति का प्रतीत होता है तो पीड़िता को मध्यस्थता का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित किया जाए तथा आश्वस्त किया जाये कि मध्यस्थता विफल होने की स्थिति में एफ0आई0आर0 का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- यदि प्रकरण में प्रथमदृष्टया हिंसा होना प्रमाणित हो रहा हो और पीड़िता नियमित हिंसा बता रही हो तो एफ0आई0आर0 से पूर्व मध्यस्थता का विकल्प चुनने का भार पीड़िता पर न डाला जाये और यदि वह चाहे तो सीधे एफ0आई0आर0 पंजीकृत करायी जाये।

▼

## 6) सुरक्षा व्यवस्थाः-

- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता को किसी प्रकार का भय या खतरा हो तो थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था कराना।

▼

## 7) पुनर्वास (Rehabilitation) एवं आश्रय (Shelter):-

- यदि पीड़िता निराश्रित है अथवा अपने ससुराल/मायका नहीं जा सकती है अथवा सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यकता होने पर उसे वन स्टाप सेन्टर/महिला शरणालय में आश्रय हेतु समन्वय स्थापित करना। सुरक्षा के दृष्टिगत पीड़िता को वन स्टाप सेन्टर भेजे जाने की स्थिति में उसकी सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों से वन स्टाप सेन्टर प्रभारी को लिखित में अवगत कराना।
- यदि पीड़िता नाबालिग है तो बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार आश्रय की व्यवस्था कराना।
- यदि पीड़िता आर्थिक रूप से कमजोर है अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है तो CWC/ DPO /वन स्टाप सेन्टर से समन्वय स्थापित कर पीड़िता को रेफर करना।
- **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018**:- यदि पीड़िता धारा 85 BNS (498ए भादवि), 124 BNS

(326ए भादवि), 80 BNS (304बी भादवि) के साथ-साथ यौन अपराध धारा 64 (A to M) BNS (376 {A to E} भादवि), धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 BNS (354{A to D} भादवि), 79 BNS (509 भादवि) के अन्तर्गत किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक आघात से ग्रस्त है, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक सहायता/मुआवजा दिलाने हेतु सहायता प्रदान की जाय। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्बन्धित थाना प्रभारी अथवा पीड़िता/उसके परिजन द्वारा आर्थिक सहायता/मुआवजा हेतु सीधे आवेदन किया जा सकता है।

▼

**8) निःशुल्क कानूनी सहायता:-**

- निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के नामित अधिवक्ताओं/पैरालीगल वालंटियर से समन्वय स्थापित कराना।
- घरेलू हिंसा अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005) के अन्तर्गत यदि पीड़िता को घर में रहने नहीं दिया जा रहा है तो Protection Order हेतु सम्बन्धित जिला प्रोबेशन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रकरण को रेफर करना/कराना।

▼

**9) फॉलोअप/फीडबैक (Follow-up/Feedback):-**

- प्रत्येक 15 दिवस (03 माह तक) के अन्तराल पर पीड़िता से दूरभाष के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना एवं प्रकरण के फॉलोअप हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना।
- तीन माह की अवधि में समय-समय पर ससुराल में ही रहने वाली पीड़िताओं की सुरक्षा का आँकलन सम्बन्धित महिला बीट अधिकारी को मौके पर भेजकर कराया जाना।
- तीन माह के पश्चात अंतिम फीडबैक में पीड़िता को सूचित करना कि यदि उसके साथ पुनः किसी प्रकार का उत्पीड़न या हिंसा होती है तो तत्काल यू0पी0-112 पर काल करें या मिशन शक्ति केन्द्र में पुनः शिकायत करें।

▼

**10) अभियोग की Monitoring :-**

- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा पंजीकृत अभियोगों की नियमित समीक्षा करते हुये समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराना तथा समीक्षा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

▼

**11) निरोधात्मक कार्यवाही :-**

- घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विपक्षी गणों के विरूद्ध धारा 126/135/170 BNSS के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अधिक से अधिक धनराशि से पाबन्द कराना।
- आपातकालीन सेवाओं तथा महिला उत्पीड़न/अपराध से सम्बन्धित हेल्प लाइन जैसे- यू0पी0-112, 1090, 181 आदि से महिलाओं को अवगत कराना।

# बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों (पॉक्सो ऐक्ट) में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## 1) शिकायतकर्ता/पीड़िता का पुलिस थाना पर आगमन या घटना की सूचना प्राप्त होने पर:-

**मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क द्वारा कार्यवाही:-**

- महिला हेल्प डेस्क द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़िता की गरिमा व सम्मान को ध्यान में रखकर विनम्रता से व्यवहार व सांत्वना देते हुये समस्या को गम्भीरता पूर्वक सुनना।
- शिकायतकर्ता/पीड़िता को मूलभूत आवश्यकताओं यथा- पीने का पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ लायी है तो उस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ नहीं लायी है तो प्रार्थना पत्र लिखवाने में सहायता प्रदान करना।
- यदि शिकायतकर्ता किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रही है तो द्विभाषिया उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारियों को संज्ञानित करना।
- थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (बच्चों से पेश आने हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत नामित उ0नि0 स्तर के अधिकारी) से समन्वय स्थापित कराना।
- यदि सूचना दूरभाष अथवा यू0पी0-112 के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) एवं थाना प्रभारी को तत्काल अवगत कराते हुये यू0पी0-112/एम्बुलेन्स/मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए सूचित किया जाये।
- गोपनीयता सुनिश्चित करना।

## 2) शिकायतकर्ता/पीड़िता की तत्काल सहायता का आंकलन करना:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की समस्या, उसकी मानसिक/शारीरिक स्थिति के दृष्टिगत उसे चिकित्सीय सहायता, प्राथमिक काउंसलिंग, सुरक्षा अथवा अन्य किस प्रकार की सहायता की तत्काल आवश्यकता है, का आंकलन करना एवं तदनुसार कार्यवाही करना।

## 3) प्रथम सूचना रिपोर्ट:-

- बच्चों के साथ लैंगिक अपराधों (पॉक्सो ऐक्ट) में शिकायतकर्ता/पीड़िता की अनिवार्य रूप से थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाना।
- यदि नाबालिक पीड़िता के साथ कोई अभिभावक अभियोग पंजीकृत कराने हेतु उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में थाने के नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (Child Welfare Police Officer) शिकायतकर्ता की भूमिका निभायेंगे।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाए।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति (CWC) को प्रेषित करते हुये पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देखरेख एवं सुरक्षा तथा काउंसलिंग सुनिश्चित कराया जाना।

## 4) चिकित्सीय सहायता:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था कराना।
- 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके अभिभावकों की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी एवं 12 वर्ष से अधिक आयु की पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के लिए पीड़िता की स्वयं की सहमति आवश्यक होगी।
- पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण महिला डाक्टर द्वारा किया जायेगा।
- यदि चिकित्सीय जाँच के दौरान पीड़िता/उसके अभिभावक द्वारा अन्दरूनी जाँच कराने से इंकार किया जाता है तो मौके पर उपस्थित महिला पुलिस/चिकित्सक द्वारा विवेचना एवं मा0 न्या0 की प्रक्रिया में पूर्ण चिकित्सीय जाँच के महत्व के सम्बन्ध में धैर्यपूर्वक समझाया जायेगा।
- यदि पीड़िता गर्भवती पायी जाती है तो मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी अभिभावक को एम0टी0पी0 (Medical Termination of Pregnancy- गर्भपात) के विकल्प के सम्बन्ध में काउंसलिंग प्रदान करायेंगे तथा पीड़िता के अभिभावकों की सहमति के अनुसार स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेते हुये चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर गर्भपात के विकल्प को उपलब्ध कराने में पूर्ण सहायता करेंगे।
- ऐसे प्रकरणों (गर्भावस्था) की सूचना अपने क्षेत्राधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी को तत्काल दी जायेगी। गर्भपात की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा होने पर प्रकरण की संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के दृष्टिगत तत्काल जनपदीय पुलिस प्रभारी के माध्यम से लिखित रूप में जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जायेगा।
- पीड़िता की आयु का निर्धारण जे0जे0 ऐक्ट-2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा। स्कूल से प्राप्त हाईस्कूल प्रमाण-पत्र अथवा स्कूल द्वारा निर्गत अन्य जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र अथवा पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र स्वीकार्य हैं। इनके अभाव में अथवा आयु की गणना में विरोधाभास/Conflict होने पर बाल कल्याण समिति के आदेश से अस्थि जाँच (Bone Ossification Test) X-ray के माध्यम से आयु निर्धारण किया जायेगा।

## 5) परामर्श (Counselling):-

- पीड़िता से बातचीत मिशन शक्ति केन्द्र की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाय तथा भिन्न-भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बार-बार पीड़िता से पूँछताछ न की जाए तथा जिस पुलिस कर्मी द्वारा पीड़िता के साथ प्राथमिक समन्वय स्थापित किया गया उसी कर्मी द्वारा भविष्य में पीड़िता की काउंसलिंग/सहयोगी सेवायें/विवेचक को सहयोग प्रदान की जाएं।
- यदि पीड़िता की स्थिति गहरे मानसिक आघात/ अवसाद/Anxiety की लग रही हो तो वन स्टाप सेन्टर से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित प्रोफेशनल मनोचिकित्सकों के माध्यम से काउंसलिंग/मनोचिकित्सीय सहायता की व्यवस्था कराना।
- अभिभावकों को जनपद के महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (विवेचक/ थाना प्रभारी/स्थानीय पर्यवेक्षण अधिकारियों के सी0यू0जी0 नं0/यूपी-112/181(One Stop Centre)/1098(Child help line)) उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार उनकी भी काउंसलिंग/मार्गदर्शन कराना।
- पीड़िता की काउंसलिंग के दौरान परिवारीजन/परिचित महिला को भी साथ रखा जाय।

**6) सुरक्षा व्यवस्थाः-**

- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता को किसी प्रकार का भय या खतरा हो तो थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था कराना।
- अत्यन्त संवेदनशील प्रकरणों में साक्षियों की सुरक्षा का आंकलन करते हुये उचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु उच्चाधिकारी गणों को अवगत कराना।

▼

**7) पुनर्वास (Rehabilitation) एवं आश्रय (Shelter):-**

- यदि पीड़िता निराश्रित है तो बाल कल्याण समिति के निदेशानुसार वन स्टाप सेन्टर/बालिका गृह में आश्रय हेतु व्यवस्था कराना।
- यदि समस्त चिकित्सीय परीक्षण या इलाज कराने में समय लगता है तथा इस दौरान पीड़िता के पास रहने की अन्यत्र व्यवस्था नहीं है तो उसे चिकित्सीय परीक्षण/इलाज पूर्ण होने तक बाल गृह/वन स्टॉप सेन्टर/ राजकीय चिकित्सालय में महिला पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाते हुये रखा जा सकता है।
- यदि पीड़िता आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है तो CWC/DPO/वन स्टाप सेन्टर/Child Line से समन्वय स्थापित कर आर्थिक सहायता दिलवाना।
- पॉक्सो ऐक्ट 2012 की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत कारित अपराध से पीड़ित बालिका की प्रेगनेंसी की स्थिति में जिला प्रोबेशन अधिकारी/बाल कल्याण समिति के माध्यम से निर्भया फण्ड के अन्तर्गत संचालित "Scheme for Care and Support to victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act 2012" योजना से लिंक करने का कार्य किया जाय। इस योजना के अन्तर्गत पीड़ित बालिका की चिकित्सा (मातृत्व, नवजात शिशु और शिशु देखभाल), मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, विधिक सहायता, यात्रा व्यय एवं अन्य आवश्यक खर्चे जिलाधिकारी की संस्तुति पर प्रदान किये जाते हैं।

▼

**8) निःशुल्क कानूनी सहायताः-**

- निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु जनपदीय बाल कल्याण समिति द्वारा नामित सहायक व्यक्ति (Resource Person)/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के नामित अधिवक्ताओं/पैरा-लीगल वालंटियर से समन्वय स्थापित कराना।

▼

**9) मुआवजा/क्षतिपूर्तिः-**

- क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि, पीड़िता/परिजनों को प्रदान कराये जाने हेतु निम्नलिखित योजनाओं में आवेदन कराया जानाः-

  उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से एफ0आई0आर0/आरोप पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड कराकर क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि हेतु आवेदन कराना।

  अथवा

  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के प्रावधानों के अनुरूप दिये जाने वाले मुआवजा/क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु पीड़िता के परिवार/पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में आवेदन सन्दर्भित कराना। पीड़िता के सक्षम न होने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से सम्पर्क कर सहायता प्रदान कराना।

- ऐसे गम्भीर प्रकरण जिनमें पीड़िता के इलाज हेतु तत्काल आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो तो उसकी रिपोर्ट जनपदीय पुलिस प्रभारी के माध्यम से तत्काल जिलाधिकारी को प्रेषित कर उस पर Follow-Up किया जाय।

▼

## 10) फॉलोअप/फीडबैक (Follow-up/Feedback):-

- प्रत्येक 15 दिवस (03 माह तक) के अन्तराल पर पीड़िता से दूरभाष के माध्यम से फीड़बैक प्राप्त करना एवं प्रकरण के फॉलोअप हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना।
- तीन माह की अवधि में समय-समय पर सम्बन्धित महिला बीट अधिकारी द्वारा पीड़िता के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाय। शारीरिक कमजोरी या Post Stress Trauma के लक्षण प्रतीत होने पर जिला चिकित्सालय/प्रोफेशनल काउंसलर से उपचार उपलब्ध कराया जाय।
- तीन माह पूरे होने के उपरान्त पीड़िता के अभिभावकों को सूचित किया जाय कि यदि अहम साक्षियों को अभियुक्त पक्ष से किसी भी प्रकार की धमकी या भय परिलक्षित होता है तो उसकी सूचना तत्काल यू0पी0-112/मिशन शक्ति केन्द्र पर दें।
- क्षतिपूर्ति/मुआवजा हेतु लम्बित प्रकरणों का निरन्तर फॉलोअप करना।

▼

## 11) अभियोग की Monitoring :-

- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा पंजीकृत अभियोग की नियमित समीक्षा करना और समीक्षा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।
- पॉक्सो ऐक्ट के अभियोगों में 60 दिवस के अन्दर विवेचना का निस्तारण कराना।

▼

## 12) निरोधात्मक कार्यवाही :-

- अभियुक्त गणों के विरूद्ध उपयुक्ततानुसार वैधानिक निरोधात्मक कार्यवाही जैसे- 129 BNSS, गुण्डा ऐक्ट, गैगस्टर ऐक्ट, NSA आदि करवाना।
- यू0पी0-112 एवं थाने पर प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण करते हुये अपने क्षेत्र के हॉट स्पाट जैसे- संवेदनशील स्थानों, स्कूलों, कालेजो के आस-पास के क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्ति, अभ्यस्त अपराधियों का चिन्हांकन/मैपिंग कराना।
- एण्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा सादे वस्त्रों में स्कूलों/संवेदनशील स्थानों के आस-पास संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना।
- नियमित गश्त एवं चेकिंग।
- संवेदनशील स्थानों/ हॉट स्पाट पर CCTV लगाने हेतु संस्थानों को निर्देशित करना।
- स्पा सेन्टर, मसाज पार्लर इत्यादि की नियमित चेकिंग कराना।
- स्कूलों के ड्राइवर, कंडक्टर, चपरासी, स्कूल स्टाफ आदि का पुलिस सत्यापन करवाने हेतु संस्थानों को निर्देशित करना।
- POCSO या अन्य लैंगिक अपराधों के अपराधियों की सूची बनाकर निगरानी।
- स्कूल/कालेजों में बालिकाओं के लिए स्कूल/कालेज प्रबन्धन से समन्वय स्थापित करते हुए शिकायत पेटिका लगवाना, उसमें ताला लगवाना तथा समय-समय पर निरीक्षण कराना।
- आपातकालीन सेवाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न हेल्प लाइन जैसे- यू0पी0-112, 1090, 1098 आदि से बालिकाओं को अवगत कराना।

# एसिड अटैक सम्बन्धी प्रकरणों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## 1) शिकायतकर्ता/पीड़िता का पुलिस थाना पर आगमन या घटना की सूचना प्राप्त होने पर:-

**मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क द्वारा कार्यवाही:-**

- महिला हेल्प डेस्क द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़िता की गरिमा व सम्मान को ध्यान में रखकर विनम्रता से व्यवहार व सांत्वना देते हुये समस्या को गम्भीरता पूर्वक सुनना।
- शिकायतकर्ता/पीड़िता को मूलभूत आवश्यकताओं यथा- पीने का पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ लायी है तो उस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ नहीं लायी है तो प्रार्थना पत्र लिखवाने में सहायता प्रदान करना।
- यदि शिकायतकर्ता किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रही है तो द्विभाषिया उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारियों को संज्ञानित करना।
- यदि सूचना दूरभाष अथवा यू0पी0-112 के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) एवं थाना प्रभारी को तत्काल अवगत कराते हुये यू0पी0-112/एम्बुलेन्स/मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए सूचित किया जाये।
- गोपनीयता सुनिश्चित करना।

## 2) शिकायतकर्ता/पीड़िता की तत्काल सहायता का आंकलन करना:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की समस्या, उसकी मानसिक/शारीरिक स्थिति (एसिड हमले में शारीरिक क्षति) के दृष्टिगत उसे चिकित्सीय सहायता, प्राथमिक काउंसलिंग, सुरक्षा अथवा अन्य किस प्रकार की सहायता की तत्काल आवश्यकता है, का आंकलन करना एवं तदनुसार कार्यवाही करना।

## 3) चिकित्सीय सहायता:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय सहायता/उपचार हेतु निकटतम चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था कराना।
- मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा एसिड अटैक सरवाइवर्स के इलाज हेतु रजिस्ट्रर्ड विशेष चिकित्सालयों/Burn Units का चिन्हीकरण कर चिकित्सालयों की सूची रखी जाय तथा CMO के आदेशानुसार प्राथमिक/सामुदायिक/संयुक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर समुचित प्राथमिक चिकित्सा सुनिश्चित कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग से योग्य नोडल अधिकारी को नामित कराया जाये।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसिड अटैक की पीड़िता को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु समस्त राजकीय एवं प्राइवेट चिकित्सालयों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतएव् एसिड अटैक पीड़िता को तत्काल इलाज किये जाने से किसी भी संस्था द्वारा इंकार नहीं किया जा सकता।

### 4) प्रथम सूचना रिपोर्टः-

- थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाना।
- यदि पीड़िता नाबालिग है तो पीड़िता की देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति को सूचना प्रेषित कराना।
- बच्चों के प्रकरणों में एसओपी में उल्लिखित समस्त कार्यवाही यथासम्भव सादे वस्त्रों में की जाय तथा पीड़िता को थाने पर कम से कम बुलाया जाय।

### 5) परामर्श (Counselling):-

- पीड़िता से बातचीत मिशन शक्ति केन्द्र की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाय तथा भिन्न-भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बार-बार पीड़िता से पूँछताछ न की जाए।
- यदि पीड़िता की स्थिति गहरे मानसिक आघात/ अवसाद/Anxiety की लग रही हो तो वन स्टाप सेन्टर से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित प्रोफेशनल मनोचिकित्सकों के माध्यम से काउंसलिंग/मनोचिकित्सीय सहायता की व्यवस्था कराना।
- परिवार के सदस्यों को जनपद के महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (विवेचक/ थाना प्रभारी/स्थानीय पर्यवेक्षण अधिकारियों के सी0यू0जी0 नं0/यूपी-112/181(One Stop Centre)/1098(Child help line)) उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार उनकी भी काउंसलिंग/मार्गदर्शन कराना।
- पीड़िता की काउंसलिंग के दौरान परिवारीजन/परिचित को भी साथ रखना।

### 6) सुरक्षा व्यवस्थाः-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता को थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था कराना।

### 7) पुनर्वास (Rehabilitation) एवं आश्रय (Shelter):-

- यदि पीड़िता नाबालिग व निराश्रित है तो बाल कल्याण समिति के निदेशानुसार वन स्टाप सेन्टर/बालिका गृह में आश्रय हेतु व्यवस्था कराना।
- चिकित्सा अथवा अन्य आपातकालीन आर्थिक सहायता हेतु जनपदीय पुलिस प्रभारी के माध्यम से जिलाधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) को आवेदन पत्र प्रेषित कराना।
- जनपद में कार्यरत एसिड अटैक से सम्बन्धित स्वयं सेवी संगठनों की सूची बनाकर एसिड अटैक सरवाइवर्स को विभिन्न प्रकार की सहायता पहुँचाने हेतु समन्वय किया जायेगा। एसिड अटैक सरवाइवर्स की सहायता हेतु छाँव फाउण्डेशन (सम्पर्क श्री आलोक दीक्षित, फाउण्डर- मो0नं0 9717900302) स्वयं सेवी संस्था संचालित है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र पर महिलाओं एवं बालिकाओं के पुनर्वास सम्बन्धी सेवाओं जैसे- मेडिकल, आश्रय, काउंसलिंग, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं क्षतिपूर्ति/आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं/विभागों के सम्पर्क सूत्र हेतु रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार की जाये।

### 8) निःशुल्क कानूनी सहायताः-

- निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के नामित अधिवक्ताओं/पैरा-लीगल वालंटियर/एसिड हमले से सम्बन्धित कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों से समन्वय स्थापित कराना।

## 9) मुआवजा/क्षतिपूर्ति:-

- क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि, पीड़िता/परिजनों को प्रदान कराये जाने हेतु निम्नलिखित योजनाओं में आवेदन कराया जाना:-

  उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से एफ0आई0आर0/आरोप पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि हेतु आवेदन कराना।

  अथवा

  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के प्रावधानों के अनुरूप दिये जाने वाले मुआवजा/क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु पीड़िता के परिवार/पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में आवेदन करने हेतु सन्दर्भित कराना अथवा पीड़ित द्वारा सक्षम न होने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से सम्पर्क कर सहायता प्रदान कराना।

- ऐसे गम्भीर प्रकरण जिनमें पीड़िता के इलाज हेतु तत्काल आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो तो उसकी रिपोर्ट जनपदीय पुलिस प्रभारी के माध्यम से तत्काल जिलाधिकारी को प्रेषित कर उस पर Follow-Up किया जाय।
- **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018**:- यदि पीड़िता धारा 85 BNS (498ए भादवि), 124 BNS (326ए भादवि), 80 BNS (304बी भादवि) के साथ-साथ यौन अपराध धारा 64 (A to M) BNS (376 {A to E} भादवि), धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 BNS (354{A to D} भादवि), 79 BNS (509 भादवि) के अन्तर्गत किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक आघात से ग्रस्त है, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक सहायता/मुआवजा दिलाने हेतु सहायता प्रदान की जाय। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्बन्धित थाना प्रभारी अथवा पीड़िता/उसके परिजन द्वारा आर्थिक सहायता/मुआवजा हेतु सीधे आवेदन किया जा सकता है।

## 10) फॉलोअप/फीडबैक (Follow-up/Feedback)-

- प्रत्येक 15 दिवस (03 माह तक) के अन्तराल पर पीड़िता से दूरभाष के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना एवं प्रकरण के फॉलोअप हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना।
- तीन माह की अवधि में समय-समय पर सम्बन्धित महिला बीट अधिकारी द्वारा पीड़िता के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाय। शारीरिक कमजोरी या Post Stress Trauma के लक्षण प्रतीत होने पर जिला चिकित्सालय/प्रोफेशनल काउंसलर से उपचार उपलब्ध कराया जाय।
- तीन माह पूरे होने के उपरान्त पीड़िता के अभिभावकों को सूचित किया जाय कि यदि अहम साक्षियों को अभियुक्त पक्ष से किसी भी प्रकार की धमकी या भय परिलक्षित होता है तो उसकी सूचना तत्काल यू0पी0-112/मिशन शक्ति केन्द्र पर दें।
- क्षतिपूर्ति/मुआवजा हेतु लम्बित प्रकरणों का निरन्तर फॉलोअप करना।

## 11) अभियोग की Monitoring:-

- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा पंजीकृत अभियोग की नियमित समीक्षा करना और समीक्षा रिपोर्ट

उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

- एसिड अटैक के विवेचनाधीन अभियोगों का यथाशीघ्र निस्तारण कराने का प्रयास करना।
- जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से फास्ट ट्रैक ट्रायल हेतु सम्बन्धित मा0 न्यायालय से अनुरोध एवं समन्वय स्थापित करना।

## 12) एसिड अटैक की घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु निरोधात्मक कार्यवाहीः-

- यथासंभव एसिड अटैक से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्ध ठोस निरोधात्मक कार्यवाही जैसे- गुण्डा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट, NSA आदि के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- महिला बीट अधिकारी एवं एण्टी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय-
  - इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों, कामकाजी महिलाओं के स्थानों एवं भीड़भाड वाले सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घरों सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे परिधानों में महिला एवं पुरूष आरक्षियों की डियूटी लगाया जाना।
  - समय-समय पर एसिड के दुकानों की चैकिंग।
  - गैर पंजीकृत एसिड का क्रय-विक्रय तथा संग्रह करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही।
  - जमानत पर छूटे या पूर्व अपराधियों की निगरानी।
- आपातकालीन सेवाओं हेतु संचालित विभिन्न हेल्प लाइन जैसे- यू0पी0-112, 1090, 181 आदि से महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराना।

# बलात्कार के प्रकरणों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## 1) शिकायतकर्ता/पीड़िता का पुलिस थाना पर आगमन या घटना की सूचना प्राप्त होने पर:-

**मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क द्वारा कार्यवाही:-**

- महिला हेल्प डेस्क द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़िता की गरिमा व सम्मान को ध्यान में रखकर विनम्रता से व्यवहार व सांत्वना देते हुये समस्या को गम्भीरता पूर्वक सुनना।
- शिकायतकर्ता/पीड़िता को मूलभूत आवश्यकताओं यथा- पीने का पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ लायी है तो उस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ नहीं लायी है तो प्रार्थना पत्र लिखवाने में सहायता प्रदान करना।
- यदि शिकायतकर्ता किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रही है तो द्विभाषिया उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारियों को संज्ञानित करना।
- यदि सूचना दूरभाष अथवा यू0पी0-112 के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) एवं थाना प्रभारी को तत्काल अवगत कराते हुये यू0पी0-112/एम्बुलेन्स/मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए सूचित किया जाये।
- शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित करना।

## 2) शिकायतकर्ता/पीड़िता की तत्काल सहायता का आंकलन करना:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की समस्या, उसकी मानसिक/शारीरिक स्थिति के दृष्टिगत उसे चिकित्सीय सहायता, प्राथमिक काउंसलिंग, सुरक्षा अथवा अन्य किस प्रकार के सहायता की तत्काल आवश्यकता है, का आँकलन करना एवं तदनुसार कार्यवाही करना।

## 3) प्रथम सूचना रिपोर्ट:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की अनिवार्य रूप से थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाना।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाए।

## 4) चिकित्सीय सहायता:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था कराना।
- यदि पीड़िता गर्भवती पायी जाती है तो मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी स्वयं व्यक्तिगत रूचि लेते हुये चिकित्सा विभाग से समन्वय स्थापित कर पीड़िता की इच्छानुसार गर्भपात के विकल्प को उपलब्ध कराने में पूर्ण सहायता करेंगे।
- ऐसे प्रकरणों (गर्भावस्था) की सूचना अपने क्षेत्राधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी को तत्काल दी

जायेगी। यदि गर्भपात में स्वास्थ्य विभाग से कोई बाधा आती है तो प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत तत्काल जनपदीय पुलिस प्रभारी के माध्यम से जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जायेगा।

▼

## 5) परामर्श (Counselling):-

- पीड़िता से बातचीत मिशन शक्ति केन्द्र की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाय तथा भिन्न-भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बार-बार पीड़िता से पूछतांछ न की जाए।
- यदि पीड़िता की स्थिति गहरे मानसिक आघात/ अवसाद/Anxiety की लग रही हो तो वन स्टाप सेन्टर से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित प्रोफेशनल मनोचिकित्सकों के माध्यम से काउंसलिंग/मनोचिकित्सीय सहायता की व्यवस्था कराना।
- परिवार के सदस्यों को जनपद के महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (विवेचक/ थाना प्रभारी/स्थानीय पर्यवेक्षण अधिकारियों के सी0यू0जी0 नं0/यूपी-112/181(One Stop Centre)) उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार उनकी भी काउंसलिंग/मार्गदर्शन कराना।
- पीड़िता की काउंसलिंग के दौरान परिवारीजन/परिचित को भी साथ रखना।

▼

## 5A) झूठे मुकदमों में परामर्श (Counselling):-

- यदि प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण किसी महिला/बालिका को मोहरा बनाकर झूठा अथवा बनावटी प्रतीत हो रहा है तो शिकायतकर्ता को कानून का दुरूपयोग न करने के सम्बन्ध में काउंसलिंग करना तथा विवेचक के सहयोगार्थ सत्यता पता लगाने का प्रयास करना ।

▼

## 6) सुरक्षा व्यवस्था:-

- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता को किसी प्रकार का भय या खतरा हो तो थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था कराना।

▼

## 7) पुनर्वास (Rehabilitation) एवं आश्रय (Shelter):-

- यदि पीड़िता निराश्रित है तो वन स्टाप सेन्टर/महिला शरणालय में आश्रय हेतु व्यवस्था कराना।
- चिकित्सा अथवा अन्य आपातकालीन आर्थिक सहायता हेतु जनपदीय पुलिस प्रभारी के माध्यम से जिलाधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी (DPO) को आवेदन पत्र प्रेषित कराना।

▼

## 8) निःशुल्क कानूनी सहायता:-

- निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के नामित अधिवक्ताओं/पैरा-लीगल वालंटियर से समन्वय स्थापित कराना।

▼

## 9) मुआवजा/क्षतिपूर्ति:-

- बलात्कार की कतिपय/पात्र धाराओं के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि, पीड़िता/परिजनों को प्रदान कराये जाने हेतु निम्नलिखित योजनाओं में आवेदन कराया जाना:-

  उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से एफ0आई0आर0/आरोप पत्र सहित अन्य आवश्यक

दस्तावेज अपलोड कराकर क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि हेतु आवेदन कराना।

अथवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत संचालित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के प्रावधानों के अनुरूप दिये जाने वाले मुआवजा/क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने हेतु पीड़िता के परिवार/पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) में आवेदन करने हेतु सन्दर्भित कराना अथवा पीड़ित द्वारा सक्षम न होने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) से सम्पर्क कर सहायता प्रदान कराना।

- ऐसे गम्भीर प्रकरण जिनमें पीड़िता के इलाज हेतु तत्काल आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो तो उसकी रिपोर्ट जनपदीय पुलिस प्रभारी के माध्यम से तत्काल जिलाधिकारी को प्रेषित कर उस पर Follow-Up किया जाय।
- **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018**:- यदि पीड़िता धारा 85 BNS (498ए भादवि), 124 BNS (326ए भादवि), 80 BNS (304बी भादवि) के साथ-साथ यौन अपराध धारा 64 (A to M) BNS (376 {A to E} भादवि), धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 BNS (354{A to D} भादवि), 79 BNS (509 भादवि) के अन्तर्गत किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक आघात से ग्रस्त है, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक सहायता/मुआवजा दिलाने हेतु सहायता प्रदान की जाय। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्बन्धित थाना प्रभारी अथवा पीड़िता/उसके परिजन द्वारा आर्थिक सहायता/मुआवजा हेतु सीधे आवेदन किया जा सकता है।

▼

## 10) फॉलोअप/फीडबैक (Follow-up/Feedback):-

- प्रत्येक 15 दिवस (03 माह तक) के अन्तराल पर पीड़िता से दूरभाष के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना एवं प्रकरण के फॉलोअप हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना।
- तीन माह की अवधि में समय-समय पर सम्बन्धित महिला बीट अधिकारी द्वारा पीड़िता के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाय। शारीरिक कमजोरी या Post Stress Trauma के लक्षण प्रतीत होने पर जिला चिकित्सालय/प्रोफेशनल काउंसलर से उपचार उपलब्ध कराया जाय।
- तीन माह पूरे होने के उपरान्त पीड़िता के अभिभावकों को सूचित किया जाय कि यदि अहम साक्षियों को अभियुक्त पक्ष से किसी भी प्रकार की धमकी या भय परिलक्षित होता है तो उसकी सूचना तत्काल यू0पी0-112/मिशन शक्ति केन्द्र पर दें।
- क्षतिपूर्ति/मुआवजा हेतु लम्बित प्रकरणों का निरन्तर फॉलोअप करना।

▼

## 11) अभियोग की Monitoring :-

- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा पंजीकृत अभियोग की नियमित समीक्षा करना और समीक्षा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।
- अभियोग का 60 दिवस के अन्दर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराना।

▼

## 12) निरोधात्मक कार्यवाही :-

- अभियुक्त गणों के विरूद्ध उपयुक्ततानुसार वैधानिक निरोधात्मक कार्यवाही जैसे- 129 BNSS, गुण्डा ऐक्ट, गैगस्टर ऐक्ट, NSA आदि करवाना।

- यू0पी0-112 एवं थाने पर प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण करते हुये अपने क्षेत्र के हॉट स्पाट जैसे- संवेदनशील स्थानों, स्कूलों, कालेजों के आस-पास के क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्ति, मनचलों, अभ्यस्त अपराधियों का चिन्हांकन/मैपिंग कराना।
- एण्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा सादे वस्त्रों में स्कूलों/संवेदनशील स्थानों के आस-पास संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना।
- नियमित गश्त एवं चेकिंग।
- संवेदनशील स्थानों/ हॉट स्पाट पर CCTV लगाने हेतु संस्थानों को निर्देशित करना।
- स्पा सेन्टर, मसाज पार्लर इत्यादि की नियमित चेकिंग कराना।
- बलात्कार के अपराधियों की सूची बनाकर निगरानी।
- स्कूल/कालेजों में बालिकाओं के लिए स्कूल/कालेज प्रबन्धन से समन्वय स्थापित करते हुए शिकायत पेटिका लगवाना, उसमें ताला लगवाना तथा समय-समय पर निरीक्षण कराना।
- आपातकालीन सेवाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न हेल्प लाइन जैसे- यू0पी0-112, 1090 आदि से बालिकाओं को अवगत कराना।

# छेड़खानी/शीलभंग के प्रकरणों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## 1) शिकायतकर्ता/पीड़िता का पुलिस थाना पर आगमन या घटना की सूचना प्राप्त होने पर:-

**मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क द्वारा कार्यवाही:-**

- महिला हेल्प डेस्क द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़िता की गरिमा व सम्मान को ध्यान में रखकर विनम्रता से व्यवहार व साँत्वना देते हुये समस्या को गम्भीरतापूर्वक सुनना।
- शिकायतकर्ता/पीड़िता को मूलभूत आवश्यकताओं यथा- पीने का पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ लायी है तो उस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ नहीं लायी है तो प्रार्थना पत्र लिखवाने में सहायता प्रदान करना।
- यदि शिकायतकर्ता किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रही है तो द्विभाषिया उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारियों को संज्ञानित करना।
- यदि सूचना दूरभाष अथवा यू0पी0-112 के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) एवं थाना प्रभारी को तत्काल अवगत कराते हुये यू0पी0-112/एम्बुलेन्स/मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए सूचित किया जाये।
- गोपनीयता सुनिश्चित करना।

▼

## 2) शिकायतकर्ता/पीड़िता की तत्काल सहायता का आंकलन करना:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की समस्या, उसकी मानसिक/शारीरिक स्थिति के दृष्टिगत उसे चिकित्सीय सहायता, प्राथमिक काउंसलिंग, सुरक्षा अथवा अन्य किस प्रकार के सहायता की तत्काल आवश्यकता है, का आंकलन करना एवं तदनुसार कार्यवाही करना।

▼

## 3) प्रथम सूचना रिपोर्ट:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाना।
- सामान्य प्रकृति के प्रकरणों जैसे- साइबर बुलिंग/फोन बुलिंग/स्टॉकिंग/छेड़खानी इत्यादि जिनमें पीड़िता एफ0आई0आर0 पंजीकृत नहीं कराना चाहती है उसके लिए पीड़िता को वीमेन पावर लाइन-1090 के बारे में अवगत कराते हुए उसकी सहमति से शिकायत दर्ज कराने हेतु सहायता प्रदान करना। साथ में एन्टी रोमियो स्क्वाड को ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रेरित करना।

▼

## 4) चिकित्सीय सहायता:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता को आवश्यकतानुसार चिकित्सीय सहायता हेतु चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था कराना।

▼

### 5) परामर्श (Counselling):-

- पीड़िता से बातचीत मिशन शक्ति केन्द्र की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाय तथा भिन्न-भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बार-बार पीड़िता से पूंछतांछ न की जाए।
- यदि पीड़िता की स्थिति गहरे मानसिक आघात/ अवसाद/Anxiety की लग रही हो तो वन स्टाप सेन्टर से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित प्रोफेशनल मनोचिकित्सकों के माध्यम से काउंसलिंग/मनोचिकित्सीय सहायता की व्यवस्था कराना।
- परिवार के सदस्यों को जनपद के महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (विवेचक/ थाना प्रभारी/स्थानीय पर्यवेक्षण अधिकारियों के सी0यू0जी0 नं0/यूपी-112/181(One Stop Centre)) उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार उनकी भी काउंसलिंग/मार्गदर्शन कराना।
- पीड़िता की काउंसलिंग के दौरान परिवारीजन/परिचित को भी साथ रखना।

▼

### 6) सुरक्षा व्यवस्था:-

- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता को किसी प्रकार का भय या खतरा हो तो थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था कराना।
- आवश्यकतानुसार अभियुक्त के अभिभावकों/परिवारीजन को अभियुक्त के आचरण के सम्बन्ध में लिखित चेतावनी निर्गत करना।

▼

### 7) पुनर्वास (Rehabilitation) एवं आश्रय (Shelter):-

- यदि पीड़िता निराश्रित है तो वन स्टाप सेन्टर/महिला शरणालय में आश्रय हेतु व्यवस्था कराना।

▼

### 8) नि:शुल्क कानूनी सहायता:-

- नि:शुल्क कानूनी सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के नामित अधिवक्ताओं/पैरा-लीगल वालंटियर से समन्वय स्थापित कराना।

▼

### 9) मुआवजा/क्षतिपूर्ति:-

- **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018**:- यदि पीड़िता धारा 85 BNS (498ए भादवि), 124 BNS (326ए भादवि), 80 BNS (304बी भादवि) के साथ-साथ यौन अपराध धारा 64 (A to M) BNS (376 {A to E} भादवि), धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 BNS (354{A to D} भादवि), 79 BNS (509 भादवि) के अन्तर्गत किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक आघात से ग्रस्त है, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक सहायता/मुआवजा दिलाने हेतु सहायता प्रदान की जाय। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्बन्धित थाना प्रभारी अथवा पीड़िता/उसके परिजन द्वारा आर्थिक सहायता/मुआवजा हेतु सीधे आवेदन किया जा सकता है।

▼

### 10) फॉलोअप/फीडबैक (Follow-up/Feedback):-

- प्रत्येक 15 दिवस (03 माह तक) के अन्तराल पर पीड़िता से दूरभाष के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना एवं प्रकरण के फॉलोअप हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना।

- तीन माह पूरे होने के उपरान्त पीड़िता के अभिभावकों को सूचित किया जाय कि यदि अहम साक्षियों को अभियुक्त पक्ष से किसी भी प्रकार की धमकी या भय परिलक्षित होता है तो उसकी सूचना तत्काल यू0पी0-112/मिशन शक्ति केन्द्र पर दें।

▼

## 11) अभियोग की Monitoring:-

- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा पंजीकृत अभियोग की नियमित समीक्षा करना और समीक्षा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।
- अभियोग का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराना।

▼

## 12) निरोधात्मक कार्यवाही :-

- अभियुक्त गणों के विरूद्ध उपयुक्ततानुसार वैधानिक निरोधात्मक कार्यवाही जैसे- 129 BNSS, गुण्डा ऐक्ट आदि करवाना।
- अभियुक्त गण के अभिभावकों/परिवारीजन की काउंसलिंग एवं चेतावनी।
- यू0पी0-112 एवं थाने पर प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण करते हुये अपने क्षेत्र के हॉट स्पाट जैसे- संवेदनशील स्थानों, स्कूलों, कालेजों के आस-पास के क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्ति, मनचलों, अभ्यस्त अपराधियों का चिन्हांकन/मैपिंग कराना।
- एण्टी रोमियो स्क्वायड द्वारा सादे वस्त्रों में स्कूलों/संवेदनशील स्थानों के आस-पास संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना।
- नियमित गश्त एवं चेकिंग।
- संवेदनशील स्थानों/ हॉट स्पाट पर CCTV लगाने हेतु संस्थानों को निर्देशित करना।
- अपराधियों की सूची बनाकर निगरानी।
- स्कूल/कालेजों में बालिकाओं के लिए स्कूल/कालेज प्रबन्धन से समन्वय स्थापित करते हुए शिकायत पेटिका लगवाना, उसमें ताला लगवाना तथा समय-समय पर निरीक्षण कराना।
- आपातकालीन सेवाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न हेल्प लाइन जैसे- यू0पी0-112, 1090, 1098 आदि से महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराना।

# अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## 1) शिकायतकर्ता/पीड़िता का पुलिस थाना पर आगमन या घटना की सूचना प्राप्त होने पर:-

**मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क द्वारा कार्यवाही:-**

- महिला हेल्प डेस्क द्वारा शिकायतकर्ता/पीड़िता की गरिमा व सम्मान को ध्यान में रखकर विनम्रता से व्यवहार व सांत्वना देते हुये समस्या को गम्भीरता पूर्वक सुनना।
- शिकायतकर्ता/पीड़िता को मूलभूत आवश्यकताओं यथा- पीने का पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराना।
- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता प्रार्थना पत्र अपने साथ लायी है तो उस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता प्रार्थना पत्र अपने साथ नहीं लायी है तो प्रार्थना पत्र लिखवाने में सहायता प्रदान करना।
- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रही है तो द्विभाषिया उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारियों को संज्ञानित करना।
- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता नाबालिग है तो थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (बच्चों से पेश आने हेतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अन्तर्गत नामित उ0नि0 स्तर के अधिकारी) से समन्वय स्थापित कराना।
- बच्चों के प्रकरणों में एसओपी में उल्लिखित समस्त कार्यवाही यथासम्भव सादे वस्त्रों में की जाय तथा पीड़िता को थाने पर कम से कम बुलाया जाय।
- शिकायतकर्ता प्रायः पीड़िता नहीं होती। पीड़िता की समयबद्ध रूप से बरामदगी करायी जाए।
- यदि सूचना दूरभाष अथवा यू0पी0-112 के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) एवं थाना प्रभारी को तत्काल अवगत कराते हुये यू0पी0-112/एम्बुलेन्स/मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए सूचित किया जाये।
- गोपनीयता सुनिश्चित करना।

▼

## 2) शिकायतकर्ता/पीड़िता की तत्काल सहायता का आंकलन करना:-

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की समस्या, उसकी मानसिक/शारीरिक स्थिति के दृष्टिगत उसे चिकित्सीय सहायता, प्राथमिक काउंसलिंग, सुरक्षा अथवा अन्य किस प्रकार के सहायता की तत्काल आवश्यकता है, का आंकलन करना एवं तदनुसार कार्यवाही करना।
- यदि पीड़िता बालिग है तथा उम्र का वैध प्रमाण प्रस्तुत कर पा रही है और अपनी स्वेच्छा से लड़के के साथ जाना चाहती है तो उसे इच्छा के विरूद्ध परिवार जन को सुपुर्द न किया जाय। परन्तु सही और स्वतन्त्र निर्णय लेने हेतु दो-तीन दिन वन स्टॉप सेन्टर में रखा जाये जिस दौरान वन स्टॉप सेन्टर काउंसलर/ महिला पुलिस द्वारा उसकी नियमित काउंसलिंग करायी जाये।

▼

**3) प्रथम सूचना रिपोर्टः-**

- शिकायतकर्ता/पीड़िता की थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाना।
- यदि पीड़िता नाबालिग है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति 24 घण्टे के अन्दर बाल कल्याण समिति (CWC) को प्रेषित करते हुये पीड़िता की बरामदगी के पश्चात उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर देखरेख एवं सुरक्षा तथा काउंसलिंग सुनिश्चित कराना।
- ट्रैफिकिंग का प्रकरण प्रतीत होने पर Anti Human Trafficking थाने को भी सूचित कर कार्यवाही कराना।

▼

**4) चिकित्सीय परीक्षणः-**

- पीड़िता की बरामदगी के पश्चात अनिवार्य रूप से चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था कराना।

▼

**5) परामर्श (Counselling):-**

- पीड़िता से बातचीत मिशन शक्ति केन्द्र की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाय तथा भिन्न-भिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बार-बार पीड़िता से पूंछतांछ न की जाए।
- यदि पीड़िता की स्थिति गहरे मानसिक आघात/ अवसाद/Anxiety की लग रही हो तो वन स्टाप सेन्टर से समन्वय स्थापित करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित प्रोफेशनल मनोचिकित्सकों के माध्यम से काउंसलिंग/मनोचिकित्सीय सहायता की व्यवस्था कराना।
- इन प्रकरणों में पीड़िता और अभियुक्त के परिवारों की काउंसलिंग भी गम्भीरतापूर्वक की जाय ताकि ऑनर किलिंग जैसे अपराध होने की घटना न हो।
- यदि पीड़िता व विपक्षी नाबालिग है तो पीड़िता को बाल कल्याण समिति एवं विपक्षी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए परन्तु दोनों की काउंसलिंग करायी जाय जिसमें एलोपमेन्ट तथा कम उम्र में लैंगिक सम्बन्धों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाय।
- पीड़िता की काउंसलिंग के दौरान परिवारीजन/परिचित को भी साथ रखना।

▼

**6) सुरक्षा व्यवस्थाः-**

- यदि शिकायतकर्ता/पीड़िता को किसी प्रकार का भय या खतरा हो तो थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था कराना।
- जब पीड़िता व अभियुक्त अलग-अलग समुदाय के हों तो ऐसे प्रकरणों में सामुदायिक तनाव/ऑनर किलिंग की संवेदनशीलता का आँकलन गम्भीरतापूर्वक करते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- जिन प्रकरणों में बालिग महिला और पुरूष का स्वेच्छा से साथ जाना पाया जाता है तथा उनकी बरामदगी उपरान्त उनके द्वारा अपने परिवारों से भय या खतरा होना बताया जाता है ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से दम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये उचित कार्यवाही कराना।

▼

**7) पुनर्वास (Rehabilitation) एवं आश्रय (Shelter):-**

- यदि पीड़िता निराश्रित है तो वन स्टाप सेन्टर/महिला शरणालय में आश्रय हेतु व्यवस्था कराना।

▼

## 8) निःशुल्क कानूनी सहायताः-

- निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के नामित अधिवक्ताओं/पैरा-लीगल वालंटियर से समन्वय स्थापित कराना।

▼

## 9) फॉलोअप/फीडबैक (Follow-up/Feedback):-

- प्रत्येक 15 दिवस (03 माह तक) के अन्तराल पर पीड़िता से दूरभाष के माध्यम से फीडबैक प्राप्त करना एवं प्रकरण के फॉलोअप हेतु आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना।
- तीन माह पूरे होने के उपरान्त पीड़िता के अभिभावकों को सूचित किया जाय कि यदि अहम साक्षियों को अभियुक्त पक्ष से किसी भी प्रकार की धमकी या भय परिलक्षित होता है तो उसकी सूचना तत्काल यू0पी0-112/मिशन शक्ति केन्द्र पर दें।

▼

## 10) अभियोग की Monitoring :-

- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा पंजीकृत अभियोग की नियमित समीक्षा करना और समीक्षा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।
- जिन प्रकरणों में नाबालिग पीड़ित की बरामदगी 04 माह तक नहीं होती है तो उन प्रकरणों की विवेचना जनपदीय AHT थाना को स्थानान्तरित कराना।

▼

## 11) निरोधात्मक कार्यवाही :-

- अभियुक्त गणों के विरूद्ध उपयुक्ततानुसार वैधानिक निरोधात्मक कार्यवाही जैसे- 129 BNSS, गुण्डा ऐक्ट आदि करवाना।
- यू0पी0-112 एवं थाने पर प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण करते हुये अपने क्षेत्र के हॉट स्पाट जैसे- संवेदनशील स्थानों, स्कूलों, कालेजों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन के आस-पास के क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्ति, मनचलों, अभ्यस्त अपराधियों का चिन्हांकन/मैपिंग कराना।
- संवेदनशील स्थानों/ हॉट स्पाट पर CCTV लगाने हेतु संस्थानों को निर्देशित करना।
- स्कूल/कालेजों में बालिकाओं के लिए स्कूल/कालेज प्रबन्धन से समन्वय स्थापित करते हुए शिकायत पेटिका लगवाना, उसमें ताला लगवाना तथा समय-समय पर निरीक्षण कराना।
- आपातकालीन सेवाओं तथा विभिन्न हेल्प लाइन जैसे- यू0पी0-112, 1090, 1098 आदि से महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराना।

# दहेज हत्या सम्बन्धी प्रकरणों में मिशन शक्ति केन्द्र द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

## 1) शिकायतकर्ता का पुलिस थाना पर आगमन या घटना की सूचना प्राप्त होने पर:-

**मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्प डेस्क द्वारा कार्यवाही:-**

- महिला हेल्प डेस्क द्वारा शिकायतकर्ता की गरिमा व सम्मान को ध्यान में रखकर विनम्रता से व्यवहार व सांत्वना देते हुये समस्या को गम्भीरता पूर्वक सुनना।
- दहेज हत्या की सूचना प्राप्त होते ही क्षेत्राधिकारी तथा थाना प्रभारी को अवगत कराते हुये निकटतम 112 वाहन, मोबाइल फोरेन्सिक वैन को मौके पर रवाना कराया जाय।
- शिकायतकर्ता को मूलभूत आवश्यकताओं यथा- पीने का पानी, शौचालय आदि की आवश्यकता हो, तो उपलब्ध कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ लायी है तो उस पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
- यदि शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र अपने साथ नहीं लायी है तो उसकी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र लिखवाने में सहायता प्रदान करना।
- यदि शिकायतकर्ता किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रही है तो द्विभाषिया उपलब्ध कराने हेतु तत्काल पर्यवेक्षण अधिकारियों को संज्ञानित करना।
- यदि सूचना दूरभाष अथवा यू0पी0-112 के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी (क्षेत्राधिकारी) एवं थाना प्रभारी को तत्काल अवगत कराते हुये यू0पी0-112/एम्बुलेन्स/मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट को घटना स्थल पर पहुँचने के लिए सूचित किया जाये।

▼

## 2) प्रथम सूचना रिपोर्ट:-

- थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करवाना।
- ऐसे प्रकरणों में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो मिशन शक्ति केन्द्र प्रभारी द्वारा तत्काल अपने उच्चाधिकारी गणों को अवगत कराया जायेगा।

▼

## 3) परामर्श (Counselling):-

- परिवार के सदस्यों को जनपद के महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (विवेचक/ थाना प्रभारी/स्थानीय पर्यवेक्षण अधिकारियों के सी0यू0जी0 नं0/यूपी-112) उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार उनकी भी काउंसलिंग/मार्गदर्शन कराना।

▼

## 4) सुरक्षा व्यवस्था:-

- शिकायतकर्ता को थाना प्रभारी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सुरक्षा की व्यवस्था कराना।
- शिकायतकर्ता को सूचित किया जाय कि यदि अहम साक्षियों/ मृतका के परिजनों को अभियुक्त पक्ष से किसी भी प्रकार की धमकी या भय परिलक्षित होता है तो उसकी सूचना तत्काल यू0पी0-112/मिशन शक्ति केन्द्र/थाना पर दें।

### 5) निःशुल्क कानूनी सहायता:-

- निःशुल्क कानूनी सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के नामित अधिवक्ताओं/पैरा-लीगल वालंटियर/ सम्बन्धित कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों से समन्वय स्थापित कराना।

### 6) पुनर्वास (Rehabilitation) एवं आश्रय (Shelter):-

- यदि मृतका के बच्चों की कस्टडी के सम्बन्ध में वादी एवं विपक्षियों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो बच्चों को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कराया जाय।

### 7) मुआवजा/क्षतिपूर्ति:-

- क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि, मृतका के बच्चों को प्रदान कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष द्वारा संचालित आनलाइन पोर्टल पर जनपदीय नोडल अधिकारी के माध्यम से एफ0आई0आर0/आरोप पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड कराकर क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि हेतु आवेदन कराना।
- **Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018**:- यदि पीड़िता धारा 85 BNS (498ए भादवि), 124 BNS (326ए भादवि), 80 BNS (304बी भादवि) के साथ-साथ यौन अपराध धारा 64 (A to M) BNS (376 {A to E} भादवि), धारा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 BNS (354{A to D} भादवि), 79 BNS (509 भादवि) के अन्तर्गत किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक आघात से ग्रस्त है, को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक सहायता/मुआवजा दिलाने हेतु सहायता प्रदान की जाय। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्बन्धित थाना प्रभारी अथवा पीड़िता/उसके परिजन द्वारा आर्थिक सहायता/मुआवजा हेतु सीधे आवेदन किया जा सकता है।

### 8) अभियोग की Monitoring :-

- मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारी द्वारा पंजीकृत अभियोग की नियमित समीक्षा करना और समीक्षा रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

### 9) निरोधात्मक कार्यवाही :-

- आपातकालीन सेवाओं तथा विभिन्न हेल्प लाइन जैसे- यू0पी0-112, 1090, 181 आदि से महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराना।
- महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में उत्पीड़न से ग्रसित महिलाओं का नियमित चिन्हीकरण कर समय पर काउंसलिंग/निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही करना एवं आवश्यकतानुसार रेफरल सुविधायें उपलब्ध कराना।

# एण्टी रोमियो स्क्वाड एवं महिला बीट प्रणाली के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

# एण्टी रोमियो स्क्वाड के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

एण्टी रोमियो स्क्वाड के गठन का उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहों, बाजारों, मॉल्स, पार्क, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य स्थलों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन एवं टिप्पणियों की घटनाओं को रोकने एवं प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ जनमानस में पुलिस की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना है।

अतएव, महिलाओं एवं छात्राओं के साथ छेड़खानी रोकने आदि के लिए एण्टी रोमियो स्क्वाड के प्रभावी कार्यवाही हेतु निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किया जा रहा है, जिनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय :-

1. समर्पित वाहन एवं संसाधन
   - प्रत्येक वाहन में सादा वेश में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तथा एक वर्दीधारी सशस्त्र पुलिसकर्मी (छोटे हथियार सहित) होगा।
   - वाहनों में वायरलेस सेट, डैशकैम और बॉडी वॉर्न कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
   - तैनाती का निर्धारण सभी संवेदनशील हॉटस्पॉट को कवर करने के उद्देश्य से तार्किक और रणनीतिक ढंग से किया जाए तथा पीआरवी की तैनाती के स्थान से ओवरलैप को रोका जाए।
2. गश्त का समय एवं तैनाती योजना
   - स्क्वॉड प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सक्रिय रहेगा।
   - सुबह की गश्त मुख्यतः स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों पर केंद्रित रहेगी, जबकि शाम को मॉल, पार्क एवं अन्य संवेदनशील स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3. ब्रांडिंग एवं जन-जागरूकता
   - वाहनों पर मिशन शक्ति का लोगो एवं "एंटी-रोमियो स्क्वॉड (जनपद का नाम)" स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।
4. निगरानी एवं तकनीकी सशक्तिकरण
   - वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित करें कि स्क्वॉड कर्मी सक्रिय गश्त करें, वाहन में बैठकर मोबाइल फोन का अनुचित उपयोग न करें।
   - डैशकैम और बॉडी वॉर्न कैमरे से कार्यवाही रिकॉर्ड की जाए।
5. कार्यवाही एवं आचरण
   - स्क्वॉड को हमेशा सतर्क, संवेदनशील एवं महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करने वाला होना चाहिए।
   - अनुचित व्यवहार पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
   - डिकॉय ऑपरेशन्स के माध्यम से स्क्वॉड मनचलों को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाएंगे।
   - गज़टेड अधिकारी अपने जनपद गश्त के दौरान स्क्वॉड की गतिविधियों का नियमित निरीक्षण करेंगे।

**(अ) क्या करें (Do's)**

1. सार्वजनिक स्थानों (स्कूल, कालेज, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि) की, पूर्व में निगरानी करने के उपरान्त अवांछनीय/आपत्तिजनक गतिविधियों करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों (जिनमें महिला पुलिस कर्मी भी समुचित संख्या में सम्मिलित हों) द्वारा की जाये।

2. अपने-अपने क्षेत्र में स्थित बालिका विद्यालयों/कालेजों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों के सम्पर्क में रहते हुये समय-समय पर उनके साथ गोष्ठी कर समन्वय स्थापित करते हुए उनसे शोहदों/मनचलों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुए उनके विरूद्ध सम्यक कार्यवाही की जाय।

3. स्क्वाड में नियुक्त महिला कर्मी सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा-स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आस-पास तथा मॉल्स, बाजार व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का आवागमन ज्यादा होता हो, को भौतिक रूप से भ्रमण कर चिन्हित कर लें, जहाँ शोहदों/मनचलों के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतें की जाती हैं।

4. शहर के बाहरी छोर (Out skirt) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थित बालिकाओं के विद्यालयों/कोचिंग संस्थानों को एण्टी रोमियो स्क्वाड के कार्यक्षेत्र में अवश्य रखा जाये तथा आवश्यकतानुसार टीम के सदस्यों की बदली कर लगाया जाये ताकि टीम के सदस्यों की पहचान उजागर न हो।

5. प्रत्येक महिला महाविद्यालय/बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिका लगवायी जाये तथा महिला विद्यार्थियों के मध्य प्रचारित-प्रसारित कराया जाये कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें अथवा अन्य महिलाओं को विशेष रास्ते अथवा जगह पर परेशान करता है तो इस सम्बन्ध में वे अपनी शिकायत, शिकायत पेटिका में डाल सकती है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम डालना अनिवार्य नहीं होगा। इस शिकायत पेटिका को सप्ताह में 1-2 बार थानों की महिला आरक्षी के द्वारा खोला जाये, जिसपर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चत की जाये तथा इसका अभिलेखीकरण भी किया जाये।

6. जो लोग इस प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त पाये जायें, उन्हें कड़ी हिदायत देते हुए प्राथमिक रूप से counselling के द्वारा उनकी सुधारात्मक कार्यवाही की जाये।

7. सुधारात्मक उपाय विफल होने पर अथवा अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाये।

8. यदि कोई व्यक्ति/युवक किसी महिला/युवती को कोई अश्लील शब्द कहता है अथवा छेड़खानी करता है अथवा पीछा करता है या घूरकर देखता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध अद्यतन विधिक प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जाये।

9. प्रभारी एण्टी रोमियो स्क्वाड अभियान के दौरान बालिकाओं/महिलाओं से छेड़खानी करने वाले व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी जाये। इस दौरान उनकी वीडियोग्राफी अवश्य की जाये। उनके अभिभावकों को भी विश्वास में लेकर उनके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में अवगत कराया जाये एवं उनकी भी काउंसलिंग करायी जाये।

10. एण्टी रोमियो स्क्वाड के पास Body worn camera भी उपलब्ध कराया जाये। जब इस प्रकार की गतिविधि करने वाले मनचलों को पकड़ा जाये तो उनकी फोटो ले ली जाये तथा फोटो गैलरी में एक एलबम बनाकर उसे सुरक्षित रख लिया जाये, जिससे उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनेगा तथा दुबारा गलती करने पर उनके विरुद्ध सम्यक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

11. इस सम्बन्ध में एक रजिस्टर तैयार किया जाये, जिसमें चिन्हित स्थानों का विवरण, एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण, यथा-पकड़े गये मनचलों के नाम, पता, मो० नम्बर, उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही जैसे

चेतावनी देना, अभिभावकों को बुलाकर उनके कार्य व आचरण के सम्बन्ध में अवगत कराना व वैधानिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया जाय।

12. यदि किसी युवक द्वारा किसी बालिका/महिला के विरूद्ध कोई आपत्तिजनक हरकत की जाती है, मोबाइल से या कैमरे से कोई फोटोग्राफी करने का प्रयास किया जाता है या कोई इशारा या अशोभनीय टिप्पणी किया जाता है अथवा बिना किसी कार्य या औचित्य स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान आदि के समीप मौजूद रहता है तो पहली बार में उससे पूंछताछ करते हुए चेतावनी दी जायेगी तथा उसका नाम/पता व मोबाइल नं० नोट करते हुए उसे उसके परिजनों को सुपुर्द किया जायेगा। ऐसे युवक को आवश्यकतानुसार पूंछताछ व अग्रिम कार्यवाही हेतु थाने ले जाया जा सकता है।

13. एण्टी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य मुख्य रूप से महिलाओं/युवतियों की सुरक्षा हेतु भयमुक्त वातावरण बनाना है, और इसके लिए प्रथम गलती पर परामर्श (Counselling) और समझा-बुझाकर उनके द्वारा की जा रही गलती का एहसास कराया जाये। एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा शोहदों एवं मनचले युवकों में सुधारात्मक एवं सकारात्मक मानसिकता विकसित करने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा।

14. प्रतिदिन अभियान में निकलने से पूर्व एण्टी रोमियो स्क्वाड में नियुक्त पुलिस कर्मियों की विधिवत ब्रीफिंग व मार्ग दर्शन किया जाय।

15. सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले महिलाओं में असुरक्षा का कारण बनते हैं। अतः ऐसे स्थानों / व्यक्तियों पर प्रभावी अभियान छेड़ा जाए।

**(ब) क्या न करें (Don't)**

1. एन्टी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वों/ शोहदों से मुक्त कराना तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना बनी रहे। इस स्क्वाड का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना नहीं है।
2. निजी संगठनों/व्यक्तियों को इस कार्य में कदापि न लगाया जाये। मीडिया के माध्यम से जनसामान्य में यह प्रचार-प्रसार कराया जाये कि किसी के द्वारा स्वयं कार्यवाही न कर सम्बन्धित पुलिस थाने को सूचित किया जाये। गैर विधिक रूप से इस अभियान को चलाये जाने के प्रयास को गम्भीरता पूर्वक रोका जायेगा।
3. एन्टी रोमियो स्क्वाड का गठन महिलाओं/छात्राओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए किया गया है। एन्टी रोमियो दल का गठन Moral Policing हेतु कदापि नहीं किया गया है।
4. सार्वजनिक स्थानों पर बैठे हुए युगल, जो सामाजिक परम्पराओं के दायरे में रहते हुए मिल-जुल रहे हों, से परिचय पत्र मांगने, पूछतांछ करने, तलाशी लेने या अन्य जाँच के नाम पर उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना करने जैसी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
5. आम जनमानस के साथ ऐसा कार्य न किया जाये जो विधि पूर्ण न हो। कार्यवाही के दौरान अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग तथा जाति या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाये।
6. किसी भी दशा में महिलाओं को पुलिस थाने पर नहीं लाया जायेगा और न ही उनसे अनावश्यक पूंछताछ की जायेगी।
7. एन्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा पकड़े गये किसी शोहदे/मनचले के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार जैसे- बाल कटवाना, मुर्गा बना देना, कालिख पोत देना आदि आचरण न किया जाये।

# महिला बीट प्रणाली के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

महिला अपराध की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए महिला बीट प्रणाली का संचालन किया जा रहा है जिसमें महिलाओं/बालिकाओं से समन्वय एवं उनकी सुरक्षा हेतु महिला बीट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। जिस हेतु महिला बीट कर्मियों के समुचित सदुपयोग (Optimum Utilization) एवं उनके द्वारा बीट भ्रमण के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही हेतु कतिपय बिन्दु निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं-

1. **महिला अपराध सम्बन्धी अभिसूचनाओं का संकलन एवं कार्यवाही-** बीट क्षेत्र के अन्तर्गत महिला अपराध से सम्बन्धित निम्न प्रकार के अवैध क्रिया-कलापों, अपराध एवं अपराधियों इत्यादि के सम्बन्ध में अभिसूचनाओं का संकलन करते हुए कार्यवाही की जायेगी-
   - ❖ शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री के सम्बन्ध में जानकारी।
   - ❖ घरेलू हिंसा, प्रेम प्रसंग, अवैध सम्बन्ध के सम्बन्ध में जानकारी।
   - ❖ महिला अपराध एवं उससे सम्बन्धित अभियुक्तगण के सम्बन्ध में जानकारी।
   - ❖ घरेलू यौन अपराध, होटल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, काल सेण्टर, पार्क, कोचिंग सेण्टर, हास्पिटल, मॉल, रेस्टोरेंट के विषय में जानकारी, सुरागरसी एवं चेकिंग।
   - ❖ छेड़खानी के प्रमुख स्थलों के सम्बन्ध में जानकारी।
   - ❖ बीट क्षेत्र के शराबी, मनचलों, छेड़खानी करने वालों, स्थानीय गुण्डों के बारे में जानकारी।
   - ❖ बीट क्षेत्र में यदि बाहर से कोई महिला /बच्चा/बालिका आकर निवास कर रही हो/रहा हो अथवा क्षेत्र की कोई महिला /बच्चा गायब हो, उसके बारे में नाम व विवरण सहित जानकारी।

2. **पीड़िताओं एवं उनके परिवारीजन की काउंसलिंग तथा शिकायतों का निस्तारण-**
   - ❖ बीट क्षेत्र की महिला अपराध से सम्बन्धित पीड़िताओं एवं उनके परिवारीजन की काउंसलिंग की जाए। आवश्यकतानुसार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परिवार परामर्श केन्द्र को रेफर किया जाए।
   - ❖ बीट क्षेत्र से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों का मौके पर जाकर निस्तारण करने का प्रयास किया जाए।
   - ❖ बेसहारा/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्त महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जिनके लाभ से वह वंचित रह जाती हैं, ऐसी पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता की जाए।

3. **जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार-** बीट क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल कालेजों /गाँव/वार्ड का भ्रमण कर महिलाओं / छात्राओं को महिला अपराध एवं उनके निवारण सम्बन्धी मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार किया जाए-
   - ❖ विभिन्न हेल्प-लाइन नम्बर जैसे 1090, यू0पी0-112, 1076, 181, 1098, 1930 इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करना।
   - ❖ महिला अपराध सम्बन्धी कानूनों के बारे में जानकारी देना।
   - ❖ महिलाओं के लिए प्रारम्भिक विधिक सहायता, DLSA, PPK एवं सम्बन्धित स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से दिलाने हेतु जानकारी देना।
   - ❖ महिलाओं एवं बच्चों की मानव तस्करी के खतरों एवं बचाव के बारे में जानकारी देना।

4. महिला बीट प्रणाली के अन्तर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी आवंटित बीट में जाकर किसी सार्वजनिक स्थान पर चौपाल का आयोजन किया जाय।

5. महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा आवंटित अपने-अपने बीट की सम्भ्रान्त महिलाओं, आशा बहुओं, ए०एन०एम०, शिक्षामित्रों इत्यादि का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपस मे उनसे निरन्तर सम्पर्क / संवाद किया जाए।

6. महिला बीट पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से उनकी आवंटित बीट क्षेत्र में भेजा जाय और महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र में भ्रमण एवं आवागमन को रूटीन में लाया जाय।

7. महिला बीट कर्मियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाय और इस ग्रुप के माध्यम से उन्हें यथा आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ उनकी बीट क्षेत्र में उपस्थिति आदि चेकिंग की जाय एवं फीड बैक के साथ-साथ इनपुट अवश्य लिया जाय।

8. जनपद स्तर पर पिछले तीन वर्ष के महिला सम्बन्धी अपराधों का डाटा तैयार कराया जाय और इन अपराधों से सम्बन्धित पीड़िताओं की महिला बीट कर्मियों को टास्क देकर काउन्सलिंग करायी जाय और उनका अनुश्रवण करते हुए फीडबैक लिया जाय।

9. समस्त महिला बीट कर्मियों को प्रेरित किया जाय कि वह अपने-अपने क्षेत्र में सक्सेज स्टोरी जैसे कार्य जमीनी स्तर पर अवश्य करें और ऐसे कार्य करने वाली महिला बीट कर्मियों को उत्साहवर्धन हेतु उन्हें पुरस्कृत कराने की कार्यवाही की जाय।

10. अपने-अपने जनपदों में महिला बीट कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा नोडल अधिकारी द्वारा समय निर्धारित कर गूगल मीट अवश्य की जाए और उनके कार्यों का फीडबैक लेकर यथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया जाए।

# मिशन शक्ति केन्द्र हेतु निर्धारित विभिन्न अभिलेखों के प्रारूप

## 1. महिला हेल्प डेस्क प्रार्थना पत्र रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0सं0 | आर्डर बुक नं0 | शिकायतकर्ता का नाम, पता व मो0नं0 | विपक्षी का नाम, पता व मो0नं0 | घटना का दिनांक | प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक | शिकायत का संक्षिप्त विवरण | जाँच अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0 | कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण | | | | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | काउंसलिंग/ मध्यस्थता | बीट सूचना | निरोधात्मक कार्यवाही | प्रथम सूचना रिपोर्ट | अन्य कार्यवाही | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## 2. काउंसलिंग रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0 सं0 | शिकायत संख्या/ आर्डर बुक नं0 | पीड़िता का नाम, पता व मो0नं0 | अभिभावक/ परिजनों का नाम, पता व मो0नं0 | विपक्षी गण का नाम, पता व मो0नं0 | शिकायत का प्रकार जैसे घरेलू हिंसा, यौन अपराध आदि | काउंसलिंग करने वाले का नाम, पद व मो0 नं0 | काउंसलिंग का दिनांक | काउंसलिंग का विवरण | काउंसलिंग का परिणाम मय विवरण | | | अगली तिथि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | समझौता | रेफरल | अन्य कार्यवाही | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## 3. एण्टी रोमियो स्क्वाड रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0सं0 | दिनांक, समय व स्थान | स्क्वाड द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों का नाम, पता, उम्र व मो0नं0 | कृत्य/उल्लंघन का विवरण | कृत कार्यवाही का विवरण जैसे- चेतावनी, परिजनों को चेतावनी, चालान, आदि | सम्बन्धित धारा/कानूनी प्रावधान | स्क्वाड प्रभारी का नाम, पद व मो0नं0 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## 3A. एण्टी रोमियो स्क्वाड दैनिक रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0सं0 | दिनांक, समय व स्थान | चेक किये गये विद्यालयों/ स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों, जैसे चौराहों, मार्केट, मॉल, पार्क एवं अन्य स्थानों के नाम | चेक किये गये व्यक्तियों की संख्या | कृत कार्यवाही का विवरण | | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या | कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या | चेतावनी दिये गये कुल व्यक्तियों की संख्या (यहां अंकित संख्या का विवरण रजिस्टर सं0- 07 में अवश्य अंकित हो। केवल मौखिक चेतावनी की संख्या न अंकित की जाए) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## 4. महिला बीट रजिस्टर (बीटवार)

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0सं0 | दिनांक | बीट क्षेत्र का नाम/संख्या | बीट अधिकारी का नाम व पद | शिकायत / समस्या का प्रकार (घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, छेड़खानी आदि) | प्रारम्भिक कार्यवाही (परामर्श, चेतावनी, काउन्सलिंग आदि) | यदि रेफर किया गया तो कहाँ | फालोअप/ फीडबैक | अद्यतन स्थिति | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## 4A. महिला बीट मासिक रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0 सं0 | माह | बीट क्षेत्र का नाम/संख्या | बीट अधिकारी का नाम व पद | माह में बीट भ्रमण की तिथियां | प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की संख्या | निस्तारित प्रार्थना पत्रों की संख्या | शेष प्रार्थना पत्रों की संख्या | बीट क्षेत्र में किये गये जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## 5. निरीक्षण पुस्तिका

उच्चाधिकारियों/पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा समय समय पर मिशन शक्ति केन्द्र का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या अंकित की जायेगी।

### मासिक गोशवारा

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0सं0 | दिनांक | निरीक्षण की तिथि | निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद | निरीक्षण के मुख्य बिन्दु | पायी गई कमियां | सुधार हेतु निर्देश | अनुपालन की स्थिति | अग्रिम कार्यवाही | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## 6. प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0सं0 | मु0अ0सं0 | धारा | दिनांक घटना | दिनांक सूचना | घटना स्थल | घटना का संक्षिप्त विवरण | वादी का नाम, पता व मो0नं0 | अभियुक्त गण का नाम, पता व मो0नं0 | अभियुक्तों के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण | | | | विवेचनात्मक कार्यवाही का विवरण | | | अन्य टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | गिर0 | हाजिर अदालत | नामजदगी गलत | शेष | आरोप पत्र | अंतिम रिपोर्ट | विवेचनाधीन | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## 7. निरोधात्मक कार्यवाही रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0 सं0 | शिकायत संख्या/ आर्डर बुक नं0 | अपराध/ उत्पीड़न का विवरण | जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है, का नाम, पता व मो0नं0 | कार्यवाही का प्रकार/धारा जैसे- 126/135/170 BNSS आदि | कार्यवाही का विवरण जैसे- पाबन्द, चालान, जेल, जमानत आदि | कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम, पद व मो0नं0 | फॉलोअप/ फीडबैक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## 8. फीडबैक/फालोअप रजिस्टर

थाने का नाम ---------------, कमिश्नरेट/जनपद का नाम -----------------

| क्र0सं0 | दिनांक | शिकायत संख्या/आर्डर बुक नं0 | शिकायत कर्ता का नाम पता व सम्पर्क नम्बर | शिकायत का प्रकार (घरेलू हिंसा छेड़खानी इत्यादि) | फीडबैक का माध्यम (फोनकॉल, मुलाकात आदि) | प्राप्त फीडबैक ( संतोषजनक, असंतोषजनक, लम्बित) | अगले फालोअप की तिथि | अग्रिम कार्यवाही | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# मिशन शक्ति केन्द्र से सम्बन्धित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर

| महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन , मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ | | |
|---|---|---|
| क्र0सं0 | अपर पुलिस महानिदेशक | 9454400151 |
| 1 | पुलिस महानिरीक्षक | 9454405255 |
| 2 | पुलिस अधीक्षक | 9454400644 |
| 3 | अपर पुलिस अधीक्षक/स्टाफ ऑफिसर | 9454409307 |
| 4 | अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध | 9454400697 |
| 5 | पुलिस उपाधीक्षक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ | 9454408363 |
| 6 | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय | 9454405219 |
| 7 | पुलिस उपाधीक्षक, 1090 कॉलसेण्टर | 9454401090 |
| 8 | रिसेप्शन | 9454458215 |
| परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक,पुलिस उपमहानिरीक्षक/ उ0प्र0 | | |
| 1 | आगरा | 9454400197 |
| 2 | अलीगढ़ | 9454400392 |
| 3 | प्रयागराज | 9454400195 |
| 4 | आज़मगढ़ | 9454400196 |
| 5 | बरेली | 9454400204 |
| 6 | बस्ती | 9454400205 |
| 7 | चित्रकूट धाम | 9454400206 |
| 8 | देवीपाटन | 9454400207 |
| 9 | अयोध्या | 9454400208 |
| 10 | गोरखपुर | 9454400209 |
| 11 | झाँसी | 9454400210 |
| 12 | कानपुर | 9454400211 |
| 13 | लखनऊ | 9454400212 |
| 14 | मेरठ | 9454400214 |
| 15 | मुरादाबाद | 9454400213 |
| 16 | सहारनपुर | 9454400215 |
| 17 | वाराणसी | 9454400216 |
| 18 | मिर्ज़ापुर | 9454400217 |

# धन्यवाद

# नोट

# नोट

# नोट

उत्तर प्रदेश पुलिस